[2020] 9 एस. सी. आर 787

शिवराज सिंह चौहान और ओआरएस।

वी.

वक्ता मध्य प्रदेश विधायी

एस्सेंबली और ओआरएस।

(2020 की लिखित याचिका (सी) संख्या 439)

13 अप्रैल, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

भारत का संविधानः कला. 174 - शक्ति परीक्षण बुलाने की राज्यपाल की शक्ति-आयोजित करने का क्षेत्रः कला के तहत शक्ति। 174 में से

सदन को बुलाने और सत्रावसान करने के लिए संविधान का प्रयोग किया जाता है

मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राज्यपाल

लेकिन ऐसी स्थिति में जहां राज्यपाल के पास यह मानने के कारण हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास खो दिया है, संवैधानिक औचित्य के लिए आवश्यक है कि इस मुद्दे को शक्ति परीक्षण का आह्वान करके हल किया जाए-राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण का आह्वान करने को संवैधानिक अधिकार की सीमा से परे काम करने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

प्रशासनिक कानूनः न्यायिक समीक्षा-राज्यपाल का आह्वान

शक्ति परीक्षण-न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का दायरा-आयोजितः संवैधानिक अधिकारियों को सौंपी गई शक्तियां न्यायिक समीक्षा के दायरे से परे नहीं हैं-जहां राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण बुलाने के विवेकाधिकार के प्रयोग को अदालत के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो यह न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है-अदालत को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि क्या शक्ति परीक्षण के लिए बुलाने में, राज्यपाल ने वस्तुनिष्ठ सामग्री और प्रासंगिक कारणों के आधार पर ऐसा किया था और

भारत का संविधानः Art.174-शक्ति परीक्षण बुलाते समय राज्यपाल का कर्तव्य-आयोजितः संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए विश्वास मत की मांग करने के लिए, राज्यपाल को सावधानी के साथ इस तरह से ऐसा करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि सरकार में अस्तित्व या विश्वास की हानि निर्धारित करने का सदन का अधिकार नहीं है।

कमजोर किया गया-अनावश्यक और मजबूर करने वाली परिस्थितियों के अभाव में, राज्यपाल के लिए अविश्वास प्रस्ताव की सामान्य विधायी प्रक्रिया को उसके नियत समय पर चलने से रोकने का कोई कारण नहीं है -

राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है लेकिन उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

राज्य कौशल, अधिकार को इस तरह से चलाने के लिए जो कम हो और शक्ति और लचीलेपन से विचलित न हो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायिकाएँ और राज्यों में सरकारें जो उनके प्रति जवाबदेह हैं।

भारत का संविधानः कला. 174 - शिवराज सिंह चौहान बनाम द्वारा शक्ति का प्रयोग।

फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए राज्यपाल-इस मामले में, विधानसभा का बजट सत्र उनकी सहायता और सलाह पर बुलाया गया था।

16 मार्च 2020 से शुरू होने वाली मंत्रिपरिषद-राज्यपाल को सूचित किया गया कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने वाले 22 सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं

इस्तीफे स्वैच्छिक या वास्तविक थे-मुख्यमंत्री ने बाद में राज्य सरकार में मंत्री रहे छह सदस्यों को हटाने के लिए राज्यपाल को सलाह दी-13 मार्च 2020 को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता के नोटिस जारी किए-हालांकि, 14 मार्च 2020 को, छह सदस्यों के इस्तीफे जो मौजूदा सरकार के मंत्री थे, अनुच्छेद के प्रावधान के तहत संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिए गए। 190 (3) (ख)-मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा कि इस पहेली को हल करने के लिए शक्ति परीक्षण बुलाना एक निश्चित आधार होगा-हालांकि, विधानसभा के बुलाने पर, कोई शक्ति परीक्षण नहीं किया गया था, और सदन को 26 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था-राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण करने की सलाह दी -

वर्तमान सरकार के मंत्री (अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत), आई. एन. सी. से संबंधित सोलह और सदस्यों के कथित इस्तीफे और 16 मार्च 2020 को सदन बुलाए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति परीक्षण करने से इनकार करना।

राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण आयोजित करने की शक्ति के प्रयोग को संवैधानिक रूप से अनुचित नहीं माना जा सकता है ताकि -

के लिए खोज में अवैध और अनुचित राजनीतिक सौदेबाजी

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली

राजनीतिक शक्ति, विश्वास मत जल्द से जल्द बुलाया जाना चाहिए

तिथि-यह एक ऐसा मामला है जिसमें कोई देरी नहीं हो सकती क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली सरकार का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि

मंत्रिपरिषद को विधायी का विश्वास बना हुआ है

एक सामूहिक इकाई के रूप में शरीर।

भारत का संविधानः निर्णय लेने की राज्यपाल की शक्ति

इस बारे में कि क्या सदस्यों द्वारा दिए गए इस्तीफे वास्तविक थे या सदन के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया गया है-आयोजितः राज्यपाल यह तय नहीं करता है कि सदस्यों द्वारा दिए गए इस्तीफे वास्तविक और स्वैच्छिक थे या नहीं-यह पूरी तरह से अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आने वाला मामला है।

-

इसी तरह, क्या सदन के किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का सामना करना पड़ा है, यह एक ऐसा मामला है जहां अध्यक्ष नामित प्राधिकारी है। यह एक सामान्य कानून है कि न तो राज्यपाल को और न ही इस मामले के लिए इस अदालत को हस्तक्षेप करने की शक्ति है। इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष के अधिकार पर।

भारत का संविधानः विश्वास मत का आयोजन-आयोजन

एक विश्वास मत इस मुद्दे से एक अलग क्षेत्र में संचालित होता है कि क्या विधान सभा के एक या अधिक व्यक्तिगत सदस्यों ने स्वैच्छिक रूप से त्यागपत्र दिया है या दसवीं अनुसूची का प्रकोप झेला है-यह पता लगाने के लिए विश्वास मत आयोजित करना आवश्यक है कि क्या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद

मंत्री को सदन का विश्वास है-उस विश्वास का निरंतर अस्तित्व वैधता और इसलिए सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है-विशेष रूप से जहां सदस्यों ने मौजूदा सरकार में विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति में इस्तीफा दे दिया था, सदन की सामूहिक इच्छा पर इस्तीफों के प्रभाव का आकलन करने के लिए शक्ति परीक्षण का आयोजन निश्चित तरीका है।

त्यागपत्र और अयोग्यता-न्यायालय यह निर्देश जारी नहीं कर सकता है कि यदि कोई एक या अधिक सदस्य सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं तो विश्वास मत नहीं बुलाया जा सकता है-उपस्थित रहना है या नहीं, यह व्यक्तिगत सदस्यों को तय करना है और वे

अनिवार्य रूप से वे अपने राजनीतिक दल और अपने निर्वाचन क्षेत्रों दोनों के लिए जो निर्णय लेते हैं, उनके लिए जवाबदेह होंगे।

20] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है, जिसमें अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हुए, राज्यपाल संवैधानिक प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं।

संविधान सहायता और सलाह के सामान्य नियम के अपवाद का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान सहायता और सलाह के सिद्धांत का प्रतीक है और ऐसा करने में, इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्यपाल राज्य का एक नाममात्र प्रमुख है, जबकि वास्तविक अधिकार और शक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित है। [पारस 32,37] [823-ई; 827-ई] 1.2 विधान सभा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है और सरकार का प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख होने पर ही वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसे विधायिका का विश्वास बना रहता है। इस अवधारणा का अभिन्न अंग सरकार के आचरण, निर्णयों और मामलों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए राज्य विधानमंडल का अंतिम अधिकार है। विधायिका सदन के पटल पर होने वाली बहसों के साथ-साथ विभागों की निगरानी के माध्यम से ऐसा करती है।

सरकार। राज्य की कार्यकारी शाखा और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य में इसकी विधायी शाखा के बीच संबंध

राज्यों के विधायी निकाय केवल संवैधानिक पीड़ा का विषय नहीं हैं। मंत्रिपरिषद को विधान सभा के प्रति जवाबदेह बनाने और विधान सभा को राज्य के मामलों की निगरानी करने का अधिकार सौंपने में, संविधान एक जटिल प्रक्रिया बुनता है जिसे लोकतांत्रिक शासन के नियंत्रण और संतुलन का प्रतिनिधित्व करने के रूप में वर्णित किया गया है। [पैरा 37] [828-सी-ई]

1.3 संविधान में अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है

इसके विधायी निकायों की अवधि, उनके आयोजन, बैठकों और अंतिम विघटन के संबंध में। राज्य विधानमंडल की अवधि पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच साल के रूप में निर्धारित की गई है, जब तक कि विधानमंडल को जल्द ही भंग नहीं किया जाता है।

शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली

विधानसभा के गठन के उद्देश्य से चुनाव होने के बाद, राज्यपाल द्वारा विधायिका को उस समय और स्थान पर बैठक करने के लिए बुलाया जाता है जो वह उचित समझता है। विधायिका के बुलाए जाने पर, राज्यपाल को सदन का सत्रावसान करने का अधिकार सौंपा जाता है। सदन के सत्रावसान की अवधारणा विधान सभा के विघटन से अलग है। सदनों को स्थगित करने का निर्णय नहीं लाता है

सभा की अवधि को समाप्त करना। विधानसभा की अवधि जो अनुच्छेद 172 द्वारा पाँच वर्ष के रूप में निर्धारित की गई है, या तो इस अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है जिसे बैठक के लिए निर्धारित पहली तारीख से गिना जाता है या पहले भंग कर दिया जाता है। सदन को बुलाने और इसे स्थगित करने या भंग करने का निर्णय लेने में, राज्यपाल आम तौर पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। विधायिका के प्रति जिस प्राथमिक आधार पर मंत्रिपरिषद की जवाबदेही तय की जाती है, वह उस संबंध के माध्यम से है जिसकी संविधान में परिकल्पना की गई है।

सरकार और विधायिका के निर्वाचित निकाय के बीच। मंत्रिपरिषद को विधायी निकाय से लिया जाता है,

मंत्रिपरिषद की सदस्यता (छह महीने की अवधि से अधिक) सदन की सदस्यता पर निर्भर है। लेकिन इस सिद्धांत के अलावा कि मंत्रिपरिषद का सदस्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही अंतिम अधिकार द्वारा निर्धारित की जाती है जो विधायिका को कमियों को व्यक्त करने के लिए प्रदान की गई थी। मंत्रिपरिषद में विश्वास। एक संवैधानिक राजनेता के रूप में राज्यपाल की भूमिका की कल्पना करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए व्याख्या के क्रम में ध्यान रखा जाना चाहिए कि कार्यपालिका के बीच संविधान द्वारा परिकल्पित शक्ति संतुलन

और विधायिका का रखरखाव राज्यपाल कार्यालय द्वारा किया जाता है। [पैरा 38] [828-एफ-एच; 829-ए-डी]

2. यह मुद्दा कि क्या राज्यपाल पहले से गठित विधानसभा में विश्वास मत का आह्वान कर सकता है, पूरी तरह से विवादित नहीं है। समाकलन। एस. आर. बोम्मई में इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष, जिन व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया गया, उनमें कर्नाटक राज्य से उत्पन्न विवाद शामिल था। यह था।

इसमें कहा गया है कि यह सवाल कि क्या चल रही विधानसभा में मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास प्राप्त है, एक ऐसा मामला है जिसे केवल सदन के पटल पर निर्धारित किया जाना है और यह राज्यपाल [2020] 9 एस. सी. आर. के लिए नहीं है।

अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर मुद्दे का निर्धारण करना। इस मानदंड का एकमात्र अपवाद जो अदालत ने तैयार किया था, वह था जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां विधान सभा के सदस्य प्रचलित हिंसा के परिणामस्वरूप या अन्य असाधारण कारणों से स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। [पैरा 39] [829-ई; 831 ए-बी]

एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 एससीसी 1: [1994]

2 एस. सी. आर. 644-अनुसरण

3. संवैधानिक शक्तियाँ जो उन्हें सौंपी गई हैं

पदाधिकारी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हैं। जहां राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण बुलाने के विवेकाधिकार के प्रयोग को अदालत के समक्ष चुनौती दी जाती है, वह न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। अदालत को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि क्या फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने में, राज्यपाल ने वस्तुनिष्ठ सामग्री और कारणों के आधार पर ऐसा किया जो सदन के लिए प्रासंगिक और स्पष्ट थे।

विधान सभा के प्रति उत्तरदायी और सामूहिक रूप से इसके प्रति उत्तरदायी। विश्वास मत के लिए आह्वान करने की शक्ति का प्रयोग इस अति महत्वपूर्ण विचार से निर्देशित होना चाहिए कि राज्यपाल द्वारा संतुष्टि का गठन इस पर आधारित नहीं है - बाहरी विचार। जबकि संविधान यह मानता है कि राज्यपाल के पास यह निगरानी करने की शक्ति है कि निर्वाचित सरकार के पास विधान सभा का विश्वास बना हुआ है, इस सौंपने से कार्यपालिका की मूल जिम्मेदारी विधायिका या विधायिका की राज्य की कार्यपालिका शाखा की जवाबदेही की मांग करने की क्षमता को कम या विस्थापित नहीं करना चाहिए। [पारस 43,44] [836-एच; 837-ए-डी]

4.1 विश्वास मत की मांग करने के लिए संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल को सावधानीपूर्वक ऐसा करना चाहिए।

तरीका जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार में अस्तित्व या विश्वास की हानि निर्धारित करने के लिए सदन का अधिकार नहीं है

कमजोर कर दिया। अनावश्यक और मजबूर करने वाली परिस्थितियों के अभाव में, राज्यपाल के लिए अविश्वास प्रस्ताव की सामान्य विधायी प्रक्रिया को उसके नियत समय पर चलने से रोकने का कोई कारण नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है लेकिन वह किसी राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली

राज्यपाल से संवैधानिक राजनेता की भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। राज्यपाल के अधिकार का प्रयोग उस राजनीतिक व्यवस्था की सहायता के लिए नहीं किया जाता है जो उस समय की निर्वाचित सरकार को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानती है। राज्यपाल को अधिकार सौंपने का सटीक कारण राजनीतिक संघर्षों से ऊपर खड़े होने की क्षमता और राज्य कौशल के अनुभव के साथ, अधिकार को इस तरह से चलाने की क्षमता है जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधानसभाओं और राज्यों की ताकत और लचीलेपन को कम करता है और कम नहीं करता है। राज्यों में सरकारें जो उनके प्रति जवाबदेह हैं। [पैरा 45] [838-ए-डी]

4.2 इस महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन में, यह आवश्यक है कि राज्यपाल इस बात को ध्यान में रखे कि अंतर्निहित उद्देश्य

विश्वास मत की आवश्यकता के लिए अधिकार सौंपना विधिवत निर्वाचित सरकारों को विस्थापित करने के लिए नहीं है, बल्कि सावधानी के साथ हस्तक्षेप करना है जब राज्यपाल के ध्यान में लाई जाने वाली परिस्थितियाँ बहुमत के नुकसान का संकेत देती हैं। यह शक्ति दी जाती है

राज्यपाल यह सुनिश्चित करें कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को हर समय बनाए रखा जाए और इसका सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। जिन परिस्थितियों के आधार पर राज्यपाल प्रथम दृष्टया राय बनाते हैं, जिससे विधान सभा में विश्वास मत की आवश्यकता होती है, वे वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होनी चाहिए। [पैरा 46] [838-एफ-जी]

5. छह मंत्रियों के इस्तीफों के आधार पर

मौजूदा सरकार (अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की गई), आई. एन. सी. से संबंधित सोलह और सदस्यों का कथित इस्तीफा, और इसके बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति परीक्षण करने से इनकार करना।

16 मार्च 2020 को सदन बुलाए जाने के बाद, राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण बुलाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है

संवैधानिक रूप से अनुचित माना जाता है। [पैरा 47] [839-ई-एफ] 6. राज्यपाल ने वास्तव में उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया है जो अध्यक्ष को दोनों में से किसी एक पर निर्णय लेने के लिए सौंपा गया है।

दसवीं अनुसूची के अर्थ के भीतर इस्तीफों या अयोग्यता के किसी भी मुद्दे का स्वैच्छिक और वास्तविक चरित्र। न्यास बुलाने के लिए राज्यपाल के संचार का सामना करना पड़ा

राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद, विधानसभा का सत्र 26 मार्च 2020 [2020] 9 एस. सी. आर. तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

7. विश्वास मत में अंतर्निहित विचार राज्य के प्रति निर्वाचित सरकार की राजनीतिक जवाबदेही को बनाए रखना है। विधायिका। जवाबदेही का दावा विधायिका के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी की एक दर्पण छवि है। विश्वास मत की आवश्यकता वर्तमान मामले में उस उद्देश्य को पूरा करती है। वर्तमान विवाद ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों की अक्सर तरल निष्ठाओं पर प्रकाश डाला है। यह उनकी अंतरात्मा का मामला है और अदालत ने नहीं कहा

विषय पर राय। हालाँकि, विश्वास मत को निर्देशित करने में, राज्यपाल किसी विशेष राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेते हैं। यह है।

यह अपरिहार्य है कि विश्वास मत का विशिष्ट समय विश्वास मत के निर्देश के समय बहुमत रखने वाली पार्टी की ओर संतुलन को झुका सकता है। सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से अपने निर्वाचित विधायकों का समर्थन खोने का खतरा है, जैसे कि विधायक मतदाताओं के वोट खोने के खतरे में हैं। यह है।

संसदीय शासन की प्रणाली कैसे संचालित होती है और विश्वास मत का परिणाम शासन करने की वैधता के लिए अंतिम लिटमस टेस्ट है। हालांकि, जहां साक्ष्य इंगित करते हैं कि हिंसा और जबरदस्ती की परिस्थितियां मौजूद हैं जो विधानसभा में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को कमजोर करेंगी, राज्यपाल और अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि विश्वास मत की पवित्रता बनी रहती है। जिन परिस्थितियों में वे इस मामले में सामने आए हैं, राज्यपाल द्वारा अधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों पर आधारित था जो यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वैध थे कि सामूहिक जिम्मेदारी के मानदंड को विधिवत संरक्षित किया गया है। राज्यपाल के लिए यह निर्धारित करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद नहीं थीं कि 16 मार्च 2020 को विश्वास मत उचित कार्रवाई नहीं थी। [पैरा 49] [843 जी-एच; 844-ए]

8. राज्यपाल यह तय नहीं करते कि इस्तीफे दिए जाएँ या नहीं।

जो सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे वे वास्तविक और स्वैच्छिक थे।

शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली

यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अध्यक्ष महोदय। इसी तरह, क्या सदन के किसी सदस्य ने खर्च किया है

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता एक ऐसा मामला है जिसमें अध्यक्ष नामित प्राधिकारी होता है। यह तुच्छ कानून है कि न तो राज्यपाल के पास और न ही उस मामले के लिए इस न्यायालय के पास निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष के अधिकार को बाधित करने की शक्ति है।

और यदि हां, तो उस दल के गुट से अलग होने वाले सदस्यों का परिणाम, जिनके टिकट पर वे दसवीं अनुसूची के तहत चुने गए थे। विश्वास मत का आयोजन इस मुद्दे से एक अलग क्षेत्र में संचालित होता है कि क्या विधान सभा के एक या अधिक व्यक्तिगत सदस्यों ने स्वैच्छिक त्यागपत्र का कार्य शुरू किया है या दसवीं अनुसूची का प्रकोप झेला है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास है या नहीं, यह पता लगाने के लिए विश्वास मत आयोजित करना आवश्यक है। उस विश्वास का निरंतर अस्तित्व वैधता और इसलिए सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें कोई देरी नहीं हो सकती क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली सरकार का अधिकार इस पर निर्भर करता है - मंत्रिपरिषद को एक सामूहिक इकाई के रूप में विधायी निकाय का विश्वास बना हुआ है। विशेष रूप से जहां सदस्यों ने विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति में इस्तीफा दे दिया

मौजूदा सरकार, एक शक्ति परीक्षण का आयोजन इस्तीफों के प्रभाव का आकलन करने का सबसे निश्चित तरीका है

घर की सामूहिक इच्छा। स्वीकृति का परिणाम त्यागपत्र देने का अर्थ है सदन की संख्या को कम करना। जब तक इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाते, वे सदस्य जिनके पास है

अनुच्छेद 190 (3) (बी) में प्रयोग की गई भाषा के संबंध में सदन की ताकत में इस्तीफा देना परिलक्षित होता है (-इसके बाद क्या यह खाली हो जाएगी)। क्या वर्तमान जैसी स्थिति में एक निर्वाचित सरकार अपने बाईस सदस्यों के इस्तीफों के बावजूद जारी रखने की हकदार है, इसका विश्वास के मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। न ही राज्यपाल और न ही उस मामले के लिए न्यायालय अध्यक्ष की शक्ति पर कब्जा कर सकता है, लेकिन अध्यक्ष के समक्ष कार्यवाही की लंबितता एक वैध आधार नहीं हो सकती है कि सदन को सरकार में विश्वास न हो जो [2020] 9 एस. सी. आर. के आयोजन द्वारा निर्धारित किया जाता है।

फर्श परीक्षण। वर्तमान मामले में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि अध्यक्ष ने 14 मार्च 2020 को बाईस सदस्यों में से छह सदस्यों द्वारा दिए गए इस्तीफों को स्वीकार कर लिया। इन सभी सदस्यों ने एक साथ यात्रा की। डॉ. सिंघवी के प्रस्तुतिकरण में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि उन छह सदस्यों के बीच क्या अंतर था, जिनके इस्तीफों को जल्दबाजी में स्वीकार कर लिया गया था और शेष सोलह सदस्यों के इस्तीफों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस्तीफा देने वाले सदस्यों में से कोई भी (न तो छह और न ही सोलह) अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, अध्यक्ष के समक्ष गैर-उपस्थिति स्पष्ट रूप से भेदभाव का आधार नहीं है। इस प्रकार, मौलिक मूल्यों की पुष्टि करने के लिए विश्वास मत का आयोजन महत्वपूर्ण है।

संविधान अर्थात्, उन नियमों का पालन करना जो संसदीय लोकतंत्र को नियंत्रित करते हैं। संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सरकार सामूहिक रूप से ऋणी है

विधान सभा के प्रति और एक सामूहिक निकाय के रूप में, विधान सभा को सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। जवाबदेही की अंतिम अभिव्यक्ति मंत्रिपरिषद का अस्तित्व या उसमें विश्वास की कमी है। यह निवेदन कि विश्वास मत के आयोजन से इस्तीफे और अयोग्यता के मामले में अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र कम हो जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाता है। [पारस 50,51] [844-डी-जी; 845-ए एच; 846-ए]

9. प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक झुंड को सुरक्षित गंतव्यों पर ले जाने का तमाशा राज्य को बहुत कम श्रेय देता है। हमारी लोकतांत्रिक राजनीति। यह राजनीतिक दलों के अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विश्वास पर एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबिंब है और राजनीति की वास्तविक दुनिया में क्या होता है इसका प्रतिबिंब है। राजनीतिक सौदेबाजी, या हॉर्स-ट्रेडिंग अब कानूनी उदाहरणों में बार-बार उपयोग किया जाता है। 'अवैध शिकार' एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके बारे में वर्तमान मामले में बहस के दोनों पक्षों में चर्चा की गई थी। यह सबसे अच्छा है कि अदालतें राजनीतिक जीवन की घटिया कहानियों से दूरी बनाए रखें। एक विश्वास मत को सुविधाजनक बनाने के लिए जिसके लिए बाईस सदस्यों को सदन में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, यदि वे ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं, तो उस संबंध में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दोनों को निर्देश जारी किए जाने चाहिए। इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सदस्य को अपने अधिकारों के प्रयोग में बाधा न हो और शिवराज सिंह चौहान v.

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली

गृह मंत्रालय) और कर्नाटक राज्य (अपने मुख्य सचिव के माध्यम से) से मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को पांच से उन्नीस (जिन सदस्यों ने अपने इस्तीफे दिए हैं) उत्तरदाताओं के साथ संवाद करने की अनुमति देने की मांग की गई है। याचिका को बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका के रूप में तैयार नहीं किया गया है। ये सदस्य जो इन कार्यवाही में उपस्थित हुए हैं प्रस्तुत किया कि वे सांसद कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। यह सदस्यों को तय करना है कि वे किसके साथ जुड़ना चाहते हैं और कानून और संविधान के अनुसार इस तरह के निर्णय के परिणामों का सामना करना है। जिन राहतों की मांग की गई है, उनमें एक निर्देश है कि विश्वास मत केवल सभी विधिवत निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किया जाना चाहिए और बाईस निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में विश्वास मत आयोजित नहीं किया जा सकता है, जिनकी उपस्थिति कानून के अनुसार खाली सीटों के लिए उपचुनाव आयोजित करके सुनिश्चित की जा सकती है। ये नक्काशी स्पष्ट रूप से हैं

गलत धारणा है। अदालत ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकती जिसमें कहा गया हो कि

यदि कोई एक या अधिक सदस्य सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं तो विश्वास मत नहीं बुलाया जा सकता है। रहना है या नहीं यह व्यक्तिगत सदस्यों को तय करना है और वे अनिवार्य रूप से अपने राजनीतिक दल और अपने घटकों दोनों के लिए जो निर्णय लेते हैं, उनके लिए जवाबदेह होंगे। इसी तरह, यह राहत कि बाईस सीटों के लिए उपचुनाव होने तक कोई विश्वास मत आयोजित नहीं किया जाना चाहिए, एक बार फिर गलत धारणा है। दूसरी रिट याचिका में एक प्रार्थना इस धारणा के आधार पर इस न्यायालय के अग्रिम निर्देश की मांग करती है कि एक अयोग्यता आकर्षित होगी जिस पर सीट खाली हो जाएगी और एक चुनाव हुआ होगा। किसी भी स्थिति में, विश्वास मत के आयोजन को उप-चुनाव होने तक भविष्य की तारीख तक स्थगित नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के संचार को चुनौती विफल होनी चाहिए। [पारस 55-57] [848-सी-एच; 849-ए-बी] [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नेबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम। उपसभापति, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा (2016) 8 एससीसी

1 : [2016] 6 एस. सी. आर. 1-निर्भर।

किहोतो होलोहन बनाम। Zachillhu (1992) 2 पूरक। 2 एससीसी

651 [1992] 1 एससीआर 686; श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम।

अध्यक्ष, कर्नाटक विधानसभा (2020) 2 एस. सी. सी.

595 ; राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ (1977) 3 एससीसी

592 [1978] 1 एस. सी. आर. 1; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. संघ का

भारत (2018) 8 एससीसी 501 [2018] 7 एससीआर 1-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 6 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

[1992] 1 एससीआर 686

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[1994] 2 एससीआर 644

पीछा किया।

पै

रा 8

(2020) 2 एस. सी. सी. 595

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[1978] 1 एससीआर 1

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[2018] 7 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

439 2020 से।

2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 449। तुषार मेहता, एसजी, के. एम. नटराज, एएसजी, प्रशांत कुमार, एएजी,

सुश्री प्राची मिश्रा, वैभव श्रीवास्तव, सुश्री सुमन रानी, डी. ए. जी., मुकुल रोहतगी, दुष्यंत दवे, देवदत्त कामत, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा, हरिन पी. रावल, मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मिश्रा सौरभ, डी. एस. परमार, सुश्री वंशजा शुक्ला, सुश्री अनुजा पेठिया, सुश्री अनुराधा मिश्रा, राजेश इनामदार, जावेदुर रहमान, पाई अमित, अली असगर रहीम, निशांत पाटिल, राहत बंसल, सुश्री जेसिका खान, सुनील फर्नांडीस, अमित भंडारी, वरुण के. चोपड़ा, अविष्कार सिंघवी,

मुहम्मद अली खान, शैलेश गोपाल म्हास्के, सुश्री नूपुर कुमार, प्रस्तुत दलवी, सुश्री अंजू थॉमस, के. सी. कौशिक, राहुल कौशिक, सुश्री भुवनेश्वरी पाठक, सुश्री शिल्पी सत्य प्रिया सत्यम, उज्जवल प्रसाद शर्मा, प्रशांत शिवराजन, चैतन्य, आदित्य कश्यप, चाणक्य शिवराज सिंह चौहान बनाम।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली

शर्मा, सुश्री तन्वी भटनागर, हर्ष पाराशर, शशांक शेखर, राजीव रंजन, शरत नांबियार, शांतनु शर्मा, भुवन कपूर, दिग्विजय दाम, राजेश श्रीवास्तव, शुभ्रांशु पाधी, मनिंद्र पाल गुप्ता, शरत, अर्जुन गर्ग, एस. महेश सहस्रनामन, एम. विनोद कुमार। , सुश्री रति टंडन, देवांश, आकाश नंदोलिया, महेश एस., गुरतेज पाल सिंह, शुभम शर्मा, राहुल खत्री, मेसर्स। वी. के. सी. विधि कार्यालय, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. मध्य प्रदेश विधानसभा में बाईस सदस्यों और कई सदस्यों के कथित इस्तीफों को लेकर विवाद

राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के लिए तत्काल शक्ति परीक्षण ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन रिट याचिकाओं को जन्म दिया है।

2. मध्य प्रदेश विधान सभा के दस सदस्यों द्वारा पहली रिट याचिका दायर की गई है जिसमें निर्देश देने के लिए एक रिट की मांग की गई है

अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और विधानमंडल के प्रधान सचिव

राज्यपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विधानसभा में शक्ति परीक्षण किया जाएगा। 1 दूसरी रिट याचिका मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल 2 द्वारा अपने मुख्य सचेतक के माध्यम से दायर की गई है।

विभिन्न प्रकार की राहतें जिनमें शामिल हैं:

((i)

भारत संघ और कर्नाटक राज्य के लिए एक दिशा

मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों को पांच से उन्नीस उत्तरदाताओं (मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है) के साथ संवाद करने की अनुमति देना;

((ii) एक घोषणा कि पांच से उन्नीस उत्तरदाता भारत संघ, कर्नाटक राज्य और भारतीय जनता पार्टी के अवैध कारावास में हैं।

1 प्रार्थना: इस माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के 12 घंटे के भीतर और मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा जारी किए गए 14.3.2020 और 15.3.2020 के निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश विधान सभा में शक्ति परीक्षण आयोजित करने के लिए 1 से 3 तक के प्रतिवादी को निर्देश देते हुए आदेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट या निर्देश जारी करें। 2 " एमपी कांग्रेस पार्टी "

(111) एक निर्देश जो पाँच उत्तरदाताओं को अनुमति देता है और उन्हें सक्षम बनाता है

के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने के लिए उन्नीस

मध्य प्रदेश विधान सभा;

(iv) एक निर्देश कि विश्वास मत केवल में आयोजित किया जाना चाहिए

मध्य प्रदेश के सभी निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति

विधान सभा;

(v) एक घोषणा कि राज्यपाल के संचार

और भारत के संविधान की धारा 175 असंवैधानिक है। और

(vi) एक निर्देश कि यदि बाईस सदस्य

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है, विश्वास मत

खाली सीटों के लिए उपचुनाव होने तक स्थगित किया जाए।

रिट याचिकाओं तक पहुँचने वाले तथ्य

3. राज्य की पंद्रहवीं विधानसभा के लिए चुनाव

मध्य प्रदेश 28 नवंबर 2018 को आयोजित किया गया था। परिणाम 11 दिसंबर 2018 को घोषित किए गए थे। विधान सभा में 230 सीटें हैं। परिणामों की घोषणा पर पार्टी की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है:

पार्टी	सीटों की संख्या
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	114
भारतीय जनता पार्टी	109
बहुजन समाज पार्टी	

2

1

समाजवादी पार्टी

4

निर्दलीयों

230

कुल

आई. एन. सी. ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया

5 " बीएसपी "

6 " एसपी "शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

सरकार बनाई। श्री कमल नाथ, जो आई. एन. सी. से संबंधित हैं, को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। भाजपा की 109 सीटों में से दो सीटें खाली हुई हैं। वर्तमान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 228 है, जिनमें से भाजपा के 107 सदस्य हैं। 4. लगभग 5 बजेः 30 प्रधानमंत्री ने 10 मार्च 2020 को भाजपा के नेताओं ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष से मुलाकात की और उन्हें सौंप दिया

आई. एन. सी. से संबंधित बाईस सदस्यों के त्याग पत्र के बारे में। तीन दिन बाद, 13 मार्च 2020 को, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने वाले सदस्यों को लुभाने के 3-4 मार्च 2020 के असफल प्रयास के बाद, भाजपा ने 8 मार्च 2020 को 19 सदस्यों को बेंगलुरु ले जाने के लिए तीन चार्टर्ड विमानों की व्यवस्था की थी। तब से, उन्नीस सदस्यों, जिनमें से छह कैबिनेट मंत्री हैं, पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें भाजपा द्वारा आयोजित एक रिसॉर्ट में संपर्क रहित रखा गया था। पत्र में इस तथ्य पर जोर दिया गया कि इन उन्नीस सदस्यों के इस्तीफे स्वयं सदस्यों द्वारा नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं द्वारा सौंपे गए थे और बाद में 12 मार्च 2020 को दो कैबिनेट मंत्रियों द्वारा सदस्यों में से एक से मिलने का असफल प्रयास किया गया था। मुख्यमंत्री ने लिखाः

" हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा द्वारा कथित रूप से बंदी बनाए गए कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पत्रों की जांच की जाएगी।

उस पर कार्रवाई की और जल्दी पूरा किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता के रूप में, मैं मध्य प्रदेश के आगामी सत्र में अपनी सरकार के शक्ति परीक्षण को आमंत्रित करता हूं और उसका स्वागत करूंगा।

विधानसभा को पहले ही 16 मार्च 2020 से अधिसूचित किया जा चुका है।

अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि। यह न्यूनतम संवैधानिक है।

प्राधिकरण, चल रही उथल-पुथल को दूर करने की पेशकश कर सकता है।

पत्र का अंत राज्यपाल से अनुरोध के साथ हुआ कि बेंगलुरु में "कैद में रखे गए" सदस्यों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मामला उठाया जाए।

उपरोक्त पत्र के बाद मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को 14 मार्च 2020 को एक पत्र भेजा गया। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहाः

“ आप इस बात से सहमत होंगे कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण की किसी भी मांग का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे 22 विधायकों को मध्य प्रदेश के बाहर बंदी बनाकर रखा गया है। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है जहाँ [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाजपा विधानसभा में शक्ति परीक्षण की मांग कर रही है जबकि कई आयोजन कर रही है।

कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश से बंधक बनाकर चले गए।

मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर राज्यपाल ने इन छह सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। उसी दिन राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को निम्नलिखित संदेशों के साथ संबोधित कियाः सामग्रीः

" मुझे जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के 22 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। इन विधायकों ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। इस संबंध में आई. मीडिया कवरेज को ध्यान से देखा है।

इन 22 विधायकों ने अपने इस्तीफे पत्र भी मुझे क्रमशः अलग-अलग दिनांक वाले पत्रों के माध्यम से भेजे हैं और उन्हीं विधायकों ने अपने अलग-अलग दिनांक वाले पत्रों के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी उपस्थिति के दौरान सुरक्षा प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। आज इन 22 विधायकों में से कुल 6 विधायक जो आपकी सरकार में मंत्री थे, जिन्हें आपके इस्तीफे पर मंत्री पद से हटा दिया गया था। सिफारिशों को विधानसभा ने भी स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय।

आपने अपने दिनांकित 13.03.2020 के पत्र के माध्यम से फ्लोर टेस्ट करने के लिए सहमति भी दी है और मुझे विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने उपरोक्त परिस्थितियों का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार द्वारा अनुचित दबाव बनाया जा रहा है इस्तीफा देने वाले सदस्यों के साथ-साथ अन्य सदस्य भी।

उपरोक्त से, मुझे विश्वास है कि आपकी सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है और आपकी सरकार अल्पमत में है। यह स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए यह अनिवार्य हो गया है।

संविधान और लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा के लिए, यह है

विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए आपके लिए आवश्यक

16.03.2020 पर मेरे भाषण के तुरंत बाद।

शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

इस संबंध में, मैं संविधान के अनुच्छेद 174 आर/डब्ल्यू 175 (2) और अन्य संवैधानिक शक्तियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता हूं। मुझमें निहित, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करता हूं:

1. मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 मार्च, 2020 को सुबह 11 बजे से शुरू होगा और मेरे भाषण के बाद ही

एक काम किया जाएगा यानी विश्वास मत।

2. विश्वास मत विभाजन के आधार पर बटन दबाकर किया जाएगा और यह किसी अन्य तरीके से नहीं किया जाएगा।

3. विश्वास मत की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी विधानसभा द्वारा स्वतंत्र व्यक्तियों के माध्यम से की जाएगी।

उपरोक्त कार्यवाही किसी भी मामले में 16 मार्च, 2020 को शुरू की जाएगी और इसे स्थगित या स्थगित नहीं किया जाएगा।

15 मार्च 2020 को राज्यपाल ने एक और संबोधन दिया।

मुख्यमंत्री को सूचित किया गया कि चूंकि यांत्रिक रूप से वोट रिकॉर्ड करने की सुविधा (एक बटन दबाने के माध्यम से) उपलब्ध नहीं है, इसलिए विश्वास मत हाथ उठाकर लिया जाना चाहिए।

6. मध्य प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र

विधानसभा की शुरुआत 16 मार्च 2020 को हुई थी। 15 मार्च 2020 को प्रसारित किए गए एजेंडे में (i) राज्यपाल का भाषण और (ii) राज्यपाल द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव शामिल था। कार्यसूची में राज्यपाल के संचार के संदर्भ में विश्वास मत का प्रावधान शामिल नहीं था। दिनांक 14 मार्च 2020। आखिरकार, कोरोना वायरस (कोविड-19) के हालिया प्रकोप से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के कारण विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गई।

7. 16 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री ने एक

राज्यपाल को पत्र। नेबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष मामले में इस न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए,

अरुणाचल प्रदेश विधान सभा '("नेबाम रेबिया"), मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधान सभा को संबोधित संदेश अनुच्छेद 163 (1) के जनादेश का पालन करना चाहिए और ऐसा कोई भी संचार केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए निर्देश उन मुद्दों को छूते हैं जो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 16 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री को दिए गए अपने जवाब में राज्यपाल ने कहा,

दर्ज किया गया कि 14 मार्च 2020 के अपने पहले के पत्र के बावजूद, मुख्यमंत्री ने सदन में अपना बहुमत साबित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की और विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से 17 मार्च 2020 को शक्ति परीक्षण कराने और अपना बहुमत स्थापित करने का अनुरोध किया, जिसमें विफल रहने पर राज्यपाल को यह मान लेना होगा कि मुख्यमंत्री

मंत्री सरकार को विधानसभा में बहुमत का समर्थन नहीं मिला। इस संवैधानिक गतिरोध पर ही इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिकाएं दायर की गई थीं।

प्रस्तुतियाँ

8. सांसद कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर रिट याचिका में प्रस्तुतियों को पहले संबोधित किया जाता है। श्री दुष्यंत दवे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने चुनौती का नेतृत्व करते हुए आग्रह किया कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका (i) संवैधानिक नैतिकता; (ii) संवैधानिक लोकाचार; और (iii) संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता पर आधारित है। निवेदन यह है कि संविधान, सामान्य रूप से, विधान सभा के लिए पांच साल की एक निश्चित अवधि पर विचार करता है और आवश्यक रूप से

घटना में, एक मतदाता को पांच साल की अवधि के लिए अपने विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व की उम्मीद करने का अधिकार है। यह आग्रह किया गया कि संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दलबदल विरोधी प्रावधान एक वैध विभाजन या विलय को बनाए रखने के लिए दो तिहाई आवश्यकता निर्धारित करते हैं। श्री डेव ने आग्रह किया है कि आई. एन. सी. के प्रति निष्ठा रखने वाले बाईस सदस्यों को अपहरण कर लिया गया है और उन्हें कैद में रखा गया है।

बेंगलुरु। प्रस्तुतिकरण के अनुसार, प्रक्रिया 3-4 मार्च 2020 को शुरू हुई जब तीन आई. एन. सी. सदस्य, एक बी. एस. पी. सदस्य और एक निर्दलीय सदस्य, जिनमें से सभी ने अतीत में मध्य प्रदेश की आई. एन. सी. सरकार का समर्थन किया है, को भाजपा द्वारा मानेसर, गुरुग्राम के एक होटल में ले जाया गया। यह आग्रह किया गया है कि हालांकि बी. एस. पी. सदस्य को आई. एन. सी. द्वारा बचाया गया था, लेकिन विधानसभा के अन्य सदस्यों को भाजपा द्वारा व्यवस्थित चार्टर्ड उड़ानों की एक श्रृंखला में और भाजपा सदस्यों और पदाधिकारियों की सुरक्षा में बेंगलुरु ले जाया गया था। श्री दवे ने प्रस्तुत किया कि 9 मार्च 2020 को भाजपा द्वारा तीन चार्टर्ड विमानों की व्यवस्था की गई थी ताकि मध्य प्रदेश राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे छह सदस्यों सहित कांग्रेस के उन्नीस सदस्यों को बेंगलुरु भेजा जा सके। कहा जाता है कि उनके साथ भाजपा के श्री हेमंत खंडेलवाल, श्री उमा शंकर और श्री सुदर्शन गुप्ता थे। इस संदर्भ में, चार्टर्ड विमान के मैनिफेस्ट पर निर्भरता रखी गई है।

यह शिवराज सिंह चौहान बनाम रहा है। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

उन्होंने आग्रह किया कि सदस्यों के इस्तीफे अध्यक्ष को कांग्रेस सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के नेताओं द्वारा सौंपे गए थे। में। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, श्री डेव ने प्रस्तुत किया किः

((i)

न तो राज्यपाल को और न ही अध्यक्ष को सदस्यों की आवश्यकता थी

जिन्हें वापस लाने के लिए बेंगलुरु ले जाया गया था;

((ii) राज्यपाल इस्तीफों की स्वैच्छिक प्रकृति का पता लगाए बिना मुख्यमंत्री को पत्र नहीं भेज सकते थे, यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। (iii) वैकल्पिक रूप से, भले ही सदस्यों के इस्तीफों को स्वीकार किया जाना हो, विश्वास मत के आयोजन का इंतजार करना चाहिए-चुनाव दाखिल करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है

रिक्तियां; और

((iv) यदि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है जो ऐसा करना चाहता है, लेकिन सरकार के लिए कोई आधार या औचित्य नहीं है जो सरकार के गठन के बाद बनाई गई थी।

राज्यपाल द्वारा न्यास बुलाने के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है

अविश्वास प्रस्ताव के अभाव में मतदान करें।

इन प्रस्तुतियों को संविधान के अनुच्छेद 168,172,175,188 (तीसरी अनुसूची के साथ पठित), 190,191 और दसवीं अनुसूची (विशेष रूप से पैराग्राफ 2 (1) (ए), 4 और 6) पर भरोसा करके पुष्ट किया गया था। श्री डेव ने मौलिक कर्तव्यों पर भी निर्भरता रखी है।

संविधान के अनुच्छेद 51 ए में। नेबाम रेबिया में निर्णय पर इस प्रस्ताव के समर्थन में भरोसा किया गया था कि राज्यपाल के पास नहीं है

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में संवैधानिक रूप से निर्धारित भूमिका। श्री डेव ने यह आग्रह करने के लिए संविधान सभा की बहसों के उद्धरणों पर भी भरोसा किया, हालांकि निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र की एक प्रणाली को चुना ताकि निरंतर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। सरकार, एक विधायी सदन के अल्पसंख्यक सदस्यों को वैध रूप से निर्वाचित सरकार के कामकाज में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अंत में, किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लू 3 मामले में संविधान पीठ का निर्णय लिया गया है

संविधान के तहत प्राथमिक राजनीतिक इकाई के रूप में राजनीतिक दल की प्रकृति पर जोर देने के लिए न्यायालय के समक्ष रखा गया। 8 1992 ( ) 2 एस. सी. सी. 651 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए, श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील जो द्वारा दायर याचिका के समर्थन में पेश हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान और नौ अन्य भाजपा सदस्यों ने कहाः

((i)

बाईस सदस्य अब निष्ठा नहीं रखते हैं

आई. एन. सी. ने 10 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया।

((ख)

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया था कि

फ्लोर टेस्ट; और

(iii)

राज्यपाल द्वारा किए गए संचार का दोनों तरफ से उल्लंघन किया गया है अध्यक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा।

श्री रोहतगी ने आग्रह किया कि राज्यपाल द्वारा अपने लेख में बनाए गए विचार

14 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री को भेजा गया पत्र इस पर आधारित थाः

निविदा के संबंध में प्राप्त जानकारी

((i)

बाईस सदस्यों द्वारा त्यागपत्र;

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में इस्तीफों का कवरेज

((ख)

मीडिया;

((ग) बाईस सदस्यों द्वारा राज्यपाल को उनके इस्तीफों के संबंध में संबोधित अलग-अलग पत्रों की प्राप्ति; और (iv) अध्यक्ष द्वारा बाईस सदस्यों में से छह सदस्यों के इस्तीफों को स्वीकार करना, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि छह सदस्य बीस के बड़े समूह से अलग क्यों थे।

दो सदस्य।

इस पृष्ठभूमि में, श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि राज्यपाल की संतुष्टि जिसके आधार पर संचार को संबोधित किया गया था

मुख्यमंत्री प्रासंगिक और जर्मन सामग्री पर आधारित थे। यह आग्रह किया गया कि पत्र जारी करते समय राज्यपाल ने अपने संवैधानिक अधिकार के दायरे में काम किया है जैसा कि एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (एस. आर. बोम्मई) मामले में इस न्यायालय के फैसलों में वर्णित है और

नबाम रेबिया। सांसद कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर रिट याचिका के संबंध में, श्री रोहतगी ने आग्रह किया किः

किसी राजनीतिक दल द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत याचिका नहीं है।

((i)

बनाए रखने योग्य;

9 (1994) 3 एस. सी. सी. 1 शिवराज सिंह चौहान बनाम वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

((ख)

जिन राहतों की मांग की गई है वे प्रकृति में नहीं हैं

एक बंदी प्रत्यक्षीकरण उपचार;

(111) एम. पी. कांग्रेस पार्टी को एम. पी. कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता से मिलने की उनकी अनिच्छा के बावजूद सदस्यों से संपर्क करने का अधिकार नहीं है; और

(iv) मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को उन बाईस सदस्यों तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए कोई भी निर्देश जिनके पास है

इस्तीफा देने से केवल आगे की राजनीतिक सौदेबाजी होगी।

10. श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील एक में उपस्थित हुए

सोलह सदस्यों की ओर से दलाली के लिए आवेदन दायर किया गया

जिन्होंने अध्यक्ष को अपने इस्तीफे दिए थे (लेकिन जिनके

हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए गए हैं)। उनकी ओर से श्री मनिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया किः

विधान सभा के एक निर्वाचित सदस्य के पास एक

(1)

अनुच्छेद के प्रावधानों के आधार पर इस्तीफा देने का पूर्ण अधिकार

190 संविधान का;

((ख)

मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष

बाईस सदस्यों के एक ही समूह के छह सदस्यों द्वारा दिए गए इस्तीफों को एक दिन के भीतर स्वीकार कर लिया गया और ऐसा करते हुए उन्होंने शेष सोलह पत्रों के संबंध में कोई जांच नहीं करने का फैसला किया।

त्यागपत्र;

((ग) त्यागपत्र और अयोग्यता अलग-अलग अवधारणाएँ हैं; और

( ) 0 ((iv)

सलाह के संबंध में न्यायिक समीक्षा का अभ्यास

राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को विश्वास मत बुलाने के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

इन प्रस्तुतियों का आग्रह करते हुए, श्री मनिंदर सिंह ने भरोसा व्यक्त किया

श्रीमंत बालासाहेब पाटिल मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर

सभापति, कर्नाटक विधान सभा 1 1.

11. मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,

उन्होंने कहा किः

2020 (2020) का आई. ए. सं. 45942 2 एस. सी. सी. 595 [2020] 9 एस. सी. आर.

((i)

मुद्दा, सार में, यह है कि क्या मैंडमस के एक रिट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर जारी किया गया यह न्यायालय अध्यक्ष को उनके इस्तीफों को स्वीकार करने का निर्देश जारी कर सकता है।

विधान सभा के सोलह सदस्य;

((ख)

इस धारणा में एक भ्रांति है कि राज्यपाल ने

सदन में बहुमत स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण करने का निर्देश देने का कोई अधिकार;

(iii)

इस न्यायालय को बैठक बुलाने के निर्देश को लागू नहीं करना चाहिए एक फ्लोर टेस्ट क्योंकि इसमें शॉर्ट-सर्किटिंग (जैसा कि वर्णित किया गया था) का प्रभाव होगा जो बड़े विवेक को सौंपा गया है

सदस्यों द्वारा इस्तीफे के मामलों पर अध्यक्ष

अनुच्छेद 190। ;

(iv) संविधान के अनुच्छेद 193 (3) (बी) के तहत, यह निर्धारित करना कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है या नहीं।

अध्यक्ष का विवेकाधिकार;

(v)

इस्तीफे के मामलों को निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष की भूमिका संविधान द्वारा प्रबलित किया गया है (तैंतीस)

संशोधन) अधिनियम 1974 और अध्यक्ष का अधिकार

दसवीं अनुसूची के तहत व्यक्ति पदनाम;

(vi) अध्यक्ष को व्यापक और अपरिहार्य विवेकाधिकार प्राप्त है।

विधान सभा के सदस्य द्वारा दिए गए इस्तीफे के संबंध में जांच करने में;

(vii) जबकि अयोग्यता और त्यागपत्र अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, किसी सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने में अध्यक्ष का निर्णय अनुच्छेद के दायरे में आता है।

212 संविधान का;

(viii) विश्वास मत आहूत करने के संबंध में इस न्यायालय की मिसालें विधानमंडल के लिए हुए नए चुनावों के संदर्भ में उत्पन्न हुई हैं, न कि चुनाव लड़ने के संदर्भ में।

सभा; और

(ix) श्री कमल नाथ के तत्वावधान में सरकार,

मुख्यमंत्री को पहले ही तीन अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ चुका है और एक और अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।

चला गया।

शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

उपरोक्त प्रस्तुतियों के अलावा, डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सोलह सदस्यों के कथित इस्तीफे वास्तविक और स्वैच्छिक हैं और इस मुद्दे पर राज्यपाल को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से निम्नलिखित

परिस्थितियों पर भरोसा किया गया थाः

सोलह सदस्यों में से कोई नहीं, जो हैं (डॉ.

((i)

सिंघवी) बेंगलुरु में बंद हैं, राज्य छोड़ने के लिए तैयार हैं

कर्नाटक का;

((ख)

किसी भी सदस्य ने मिलने की इच्छा नहीं दिखाई है यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदार भी;

(iii)

सदस्यों द्वारा स्वयं, बल्कि पहले ईमेल द्वारा भेजा गया था और बाद में भाजपा के नेताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था; और

(iv) सदस्यों द्वारा इस्तीफों के तीन बैच (सात, छह और छह) तीन की लिखावट में लिखे गए थे।

लोग।

डॉ. सिंघवी ने हालांकि स्पष्ट किया कि 13 मार्च 2020 को

छह सदस्यों को अयोग्यता नोटिस जारी किए गए थे जो थे

मंत्रीगण, अध्यक्ष ने अंततः 14 मार्च 2020 को उनके इस्तीफों को स्वीकार कर लिया।

12. उपरोक्त प्रस्तुतियों पर स्पष्टीकरण देते हुए डॉ. अभिषेक मनु ने कहा,

सिंघवी ने आग्रह किया कि भाजपा द्वारा की गई कवायद का उद्देश्य दसवीं अनुसूची में निहित दो तिहाई शर्त के आसपास एक रास्ता खोजना है एक चालू सदन में बाईस सदस्यों के इस्तीफों को तैयार करके। निवेदन यह है कि यदि अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने से पहले विश्वास मत आयोजित किया जाना था कि स्वीकार किया जाए या नहीं

सदस्यों के इस्तीफे से उन सोलह सदस्यों के लिए मतदान से दूर रहने का मार्ग प्रशस्त होगा जिनके इस्तीफे आज तक स्वीकार नहीं किए गए हैं। यह आग्रह किया गया है कि उनके अनुपस्थित रहने से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या में बदलाव आएगा, इस प्रकार सदन में आवश्यक बहुमत में संशोधन

होगा और विश्वास मत के परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा। यदि वर्तमान सरकार सदन का विश्वास खो देती है, तो यह आशंका है कि इन सोलह सदस्यों को नई सरकार द्वारा मंत्री पद की पेशकश की जा सकती है। डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं जिन पर नोटिस जारी किए गए हैं और यदि सदन का कोई सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप कानून में परिकल्पित परिणाम होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. राज्यपाल के निर्णय पर हमले की गंभीरता यह है कि राज्यपाल की शक्तियों के बीच स्पष्ट अंतर है। एक नए चुनाव के बाद सदन के गठन और एक विधिवत गठित विधानसभा के संबंध में। प्रस्तुतिकरण में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें राज्यपाल ने चल रही विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया हो। डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि 19 सितंबर 1976 को मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्य नियमों में संशोधन किया गया था।

संविधान (तैंतीसवां) संशोधन अधिनियम, 1974। नियम 276 (1) खा 'में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

और भी) ख-1 (यक्ष को त्याग-देश की शिक्षा से अधिक आवश्यकता और आवश्यकता के लिए अपेक्षा करना) जो अधिक हो सकता है वह अधिक होना चाहिए जो अधिक हो सकता है। क्षमा करें।

,

आज की शिक्षा का अध्ययन भाषा शिक्षा (ये जो अधिकार है) अन्य दायित्वों के संबंध में है। किस बात का ख्याल है? कौन सी बात नहीं है? पात्रों का विकास नहीं होता है।

राज्यपाल के अधिकार के तहत जारी किए गए प्रकाशन के नोट की एक अनुवादित प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

डॉ. सिंघवी ने आग्रह किया कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए इस्तीफे और अयोग्यता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए लगभग दो सप्ताह की मांग करना उचित है। डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि जब

कर्नाटक सरकार के संविधान पर हालिया संवैधानिक विवाद इस अदालत में पहुंचा, शुरुआत में 11 जुलाई को एक आदेश पारित किया गया था 2019 सदस्यों को अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होने और अध्यक्ष को तुरंत निर्णय लेने का निर्देश देना। इसके बाद, हालांकि, 12 जुलाई 2019 और 17 जुलाई 2019 के आदेशों द्वारा, पहले के निर्देश को निलंबित कर दिया गया था, और इस अदालत ने स्पष्ट किया कि इस्तीफे के मामलों पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष की शक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है

14. सोलह सदस्यों की ओर से दायर अंतरिम आवेदन गंभीर आलोचना का विषय रहा है। जिस तरह से आई. ए. के समर्थन में हलफनामे हैं

12 " मध्य प्रदेश विधानसभा नियम "शिवराज सिंह चौहान बनाम।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

विधान सभा। मध्य प्रदेश विधानसभा नियमों के नियम 143 के तहत, अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय दस दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए, जिसे डॉ. सिंघवी ने एक उचित अवधि माना जाता है। डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि विधानमंडल के चल रहे सत्र में, यह परीक्षण करने का एकमात्र तरीका है कि क्या सरकार के पास बहुमत है, नियम 143 के तहत पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। 15. डॉ. सिंघवी ने 14 मार्च 2020 को राज्यपाल द्वारा भेजे गए संदेश में कहा कि सदन में विश्वास मत की आवश्यकता के लिए राज्यपाल ने अनुच्छेद 174 और 175 (2) पर भरोसा करना चाहा, जिनमें से कोई भी राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करता है।

यह आग्रह किया गया कि राज्यपाल ने मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक द्वारा उसी दिन के पहले संचार के बाद विश्वास मत की मांग की। नेबाम रेबिया के फैसले पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान पीठ ने माना है कि राज्यपाल द्वारा विधान सभा को कोई भी संदेश केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर हो सकता है। निवेदन यह है कि ऐसी स्थिति के अभाव में जहां मंत्रिपरिषद ने अपनी सहायता और सलाह दी है, राज्यपाल के लिए विधान सभा के विधायी कार्य में मध्यस्थता करने का अधिकार नहीं था, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 212 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। भाजपा, मुख्य विपक्ष के रूप में, बिना किसी उपाय के नहीं होगी (यह आग्रह किया गया था) क्योंकि वह अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए तैयार है। संक्षेप और सार में, अध्यक्ष की ओर से डॉ. सिंघवी का यह निवेदन था कि यदि वर्तमान मामले में उत्पन्न परिस्थितियों में राज्यपाल के हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है, तो यह राज्यपाल को एक अति विधायी प्राधिकरण बनने की अनुमति देगा।

विधान सभा की संवैधानिक स्थिति। वर्तमान मामले में, यह प्रस्तुत किया गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में विधानसभाओं के चल रहे सत्रों को हाल ही में कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रकोप के परिणामस्वरूप स्थगित कर दिया गया है और इसलिए वर्तमान मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा को स्थगित करने के अध्यक्ष के फैसले में कुछ भी अप्रिय नहीं था। 16. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि एस. आर. बोम्मई में नौ न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय ने एक ऐसी स्थिति से निपटा जहां राज्यपाल के पास [2020] 9 एस. सी. आर. था।

17. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने दलीलों का समर्थन किया डॉ. सिंघवी ने आग्रह किया कि वर्तमान स्थिति अद्वितीय है क्योंकिः

((i)

कोई भी बहुमत का दावा करने के लिए राज्यपाल के सामने पेश नहीं हुआ है मध्य प्रदेश विधान सभा में; और

((ii) यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें राज्यपाल ने सदन के सत्र के दौरान शक्ति परीक्षण की मांग की है।

श्री सिब्बल का तर्क है कि राज्यपाल के विश्वास मत का आदेश देने के अधिकार पर नेबाम रेबिया में संविधान पीठ की टिप्पणियाँ

विशुद्ध रूप से चल रही विधान सभा के पटल पर आयोजित किया जाना है

राज्यपाल की शक्ति को बनाए रखना निर्वाचित सरकार और शासन की लोकतांत्रिक संरचनाओं दोनों को ध्वस्त करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। श्री सिब्बल की दलीलों में, राज्यपाल के पास सदन को बुलाने की शक्ति होगी, जहां यह सत्र में नहीं है। उसके बाद से अनुच्छेद 168, राज्यपाल विधायिका का एक हिस्सा है, यदि सदन सत्र में नहीं है तो यह राज्यपाल के लिए एक विशेष सत्र की मांग करने के लिए खुला है जहां तथ्य इंगित करते हैं कि मौजूदा सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। हालाँकि, डॉ. सिंघवी के निवेदन के समान, श्री सिब्बल ने आग्रह किया कि जब सदन का सत्र चल रहा हो तो यह कार्रवाई राज्यपाल के लिए खुली नहीं है और ऐसी स्थिति में, एकमात्र उपाय यह परीक्षण करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की मांग करना है कि क्या मौजूदा सरकार के पास सदन का विश्वास है।

18. विश्वास मत का आह्वान करके राज्यपाल की शक्ति के प्रयोग के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है किः

शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

राज्यपाल की एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि होनी चाहिए।

((i)

उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर;

((ख)

भौतिक सत्यापन के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि सदस्यों द्वारा केवल इस्तीफे देने के कारण राज्यपाल द्वारा विश्वास मत का आह्वान करने के लिए शक्ति का वैध प्रयोग किया गया।

(iii)

राज्यपाल के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि सोलह

सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने इस्तीफे जमा कर दिए थे; और

(iv) देश में विधायी इतिहास इंगित करता है कि अल्पसंख्यक सरकारें बच गई हैं और जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि केवल इस्तीफों के कारण वास्तव में मौजूदा सरकार में विश्वास की कमी हुई है, तब तक यह संभव नहीं है।

राज्यपाल ने यह निष्कर्ष निकाला कि सोलह सदस्यों के कार्यों के परिणामस्वरूप विश्वास की हानि होगी

सरकार।

संक्षेप में, जबकि डॉ. सिंघवी और श्री सिब्बल दोनों ने विश्वास मत का आह्वान करने के लिए राज्यपाल की शक्ति के अस्तित्व से इनकार किया

चल रही विधान सभा, श्री सिब्बल की प्रस्तुतियों का यह अंग है कि

भले ही राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति हो, लेकिन उनकी शक्ति का प्रयोग उस शक्ति के दायरे से बाहर था। यह श्री सिब्बल का निवेदन है कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई तथ्य नहीं था जो

यह दर्शाता है कि मौजूदा सरकार को बहुमत का नुकसान उठाना पड़ा था। अंत में श्री कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि सोलह सदस्य एक उच्च सुरक्षा से एक चार्टर्ड उड़ान पर ले जाया गया है

दिल्ली हवाई अड्डे से बेंगलुरु तक का क्षेत्र, जहाँ उन्हें एक रिसॉर्ट में रखा गया है। श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि सोलह सदस्यों की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दिया गया बयान कि वे पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं अध्यक्ष के समक्ष या सदन की कार्यवाही में भाग लेना, उनके कैद में रखे जाने का एक मजबूत संकेत है।

19. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री विवेक तन्खा ने इन दलीलों का समर्थन किया है

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने आग्रह किया था। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में निहित कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करने के अलावा, श्री विवेक तन्खा ने प्रस्तुत किया कि राज्यपाल

का पत्र अपरिपक्व था क्योंकि सोलह सदस्यों के इस्तीफों को अध्यक्ष द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया था। अध्यक्ष द्वारा निर्णय की अनुपस्थिति में, यह आग्रह किया गया कि राज्यपाल को यह राय नहीं बनानी चाहिए थी कि सरकार अल्पमत में है।

20] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश विधान सभा ने प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश विधान सभा के समक्ष दाखिल किया गया हलफनामा भाजपा के 54 सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव के रूप में माने जाने की संभावना है।

21. श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, पेश हुए

मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से और प्रस्तुत किया किः

((i)

सवाल यह है कि क्या किसी मौजूदा सरकार को इसका फायदा मिलता है

किसी राज्य के अधिकांश सदस्यों का समर्थन

विधान सभा राज्यपाल का एकमात्र विशेषाधिकार है।

उस राज्य का;

राज्यपाल की संतुष्टि कि क्या कोई पदधारी है

((ख)

सरकार को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है जो न्यायिक रूप से प्रबंधनीय समीक्षा मानकों से परे है और इस न्यायालय को इसके खिलाफ सुरक्षा करनी चाहिए।

"राजनीतिक झाड़ी" में प्रवेश करना;

(iii)

राज्यपाल ने यह निर्णय नहीं लिया है कि किस राजनीतिक

पार्टी को विधान सभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन वह केवल प्रथम दृष्टया इस निर्धारण पर पहुंची है कि पार्टी का अस्तित्व है।
इस बात पर संदेह है कि क्या मौजूदा सरकार को सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है; और

((iv) यह एक सर्वविदित सिद्धांत है कि कम से कम संभव समय के भीतर शक्ति परीक्षण एक उचित उपाय है जहां इस बात पर कोई संदेह पैदा होता है कि क्या किसी मौजूदा सरकार को विधानमंडल में बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

सभा।

राज्य विधानमंडलों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

22. भारत के संविधान का भाग VI राज्यों से संबंधित है।

भाग VI के अध्याय III में राज्य विधानसभाओं से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 168 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में "एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल होंगे" और कुछ राज्यों में (मध्य प्रदेश सहित) दो सदन और अन्य राज्यों में एक सदन होगा। अनुच्छेद 174 (1) राज्यपाल को किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार देता है, "उस समय और स्थान पर बैठक करने के लिए जो वह उचित समझता है।" हालांकि, एक सत्र के अंत और शिवराज सिंह चौहान बनाम के बीच की अवधि।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

अगले सत्र की शुरुआत छह महीने से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 174 (2) राज्यपाल को (i) सदन का सत्रावसान करने और (ii) विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 175 (1) अनुमति देता है - राज्यपाल विधान सभा को संबोधित करेंगे। अनुच्छेद 175 (2) में विचार किया गया है

कि राज्यपाल राज्यों के विधानमंडलों के सदनों या सदनों को संदेश भेज सके। अनुच्छेद 176 में आम चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राज्यपाल द्वारा विधानसभा को एक विशेष संबोधन का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग आम तौर पर अनुच्छेद 163 (1) के प्रावधानों के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 163 (1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख के रूप में मंत्रिपरिषद "राज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देगी", सिवाय इसके कि संविधान राज्यपाल से "अपने विवेक से अपने कार्यों या उनमें से किसी भी कार्य" का प्रयोग करने की अपेक्षा करता है।

23. अनुच्छेद 190 में "सीटों की छुट्टी" के प्रावधान हैं। अनुच्छेद के खंड (3) में कहा गया हैः

" (3) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य -

(क) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है

अनुच्छेद 191 का खंड (1) या खंड (2); या

(ख) अपने हाथ के नीचे उन्हें संबोधित करते हुए लिख कर अपनी सीट से इस्तीफा दे देता है

अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, और उनका इस्तीफा, यथास्थिति, अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उनका स्थान रिक्त हो जाएगाः

बशर्ते कि उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी इस्तीफे की स्थिति में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझता है, अध्यक्ष या अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि ऐसा इस्तीफा नहीं है।

स्वैच्छिक या वास्तविक, वह इस तरह का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद 190 के खंड (3) के उपखंड (बी) से संकेत मिलता है कि एक सीट "तब खाली हो जाएगी" जब कोई सदस्य "अपने पद से इस्तीफा दे देता है" और

इस्तीफा अध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है, जैसा भी मामला हो। अनुच्छेद के खंड (3) के उपखंड (ख) के प्रावधान

190 की स्वीकृति के लिए एक विशिष्ट प्रावधान को शामिल करने के लिए संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम 1974 द्वारा संशोधित किया गया था

अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य का त्यागपत्र। "उसके बाद खाली हो जाएगा" अभिव्यक्ति इंगित करती है कि एक रिक्ति केवल [2020] 9 एस. सी. आर. पर उत्पन्न होती है।

अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, सदन के अध्यक्ष द्वारा इस्तीफे की स्वीकृति। अनुच्छेद 190 के खंड (3) के परंतुक से संकेत मिलता है कि यदि अध्यक्ष या सभापति इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इस्तीफा "स्वैच्छिक या वास्तविक" है तो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संतुष्टि पर पहुंचने से पहले, परंतुक के लिए अध्यक्ष या अध्यक्ष (जैसा भी मामला हो) से एक जांच करने की आवश्यकता होती है जो उचित माना जाता है। इन प्रावधानों को एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था

विधायिका के निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता को जबरदस्ती या गलत प्रतिनिधित्व द्वारा जब्त किए जाने की रक्षा करना। संवैधानिक संशोधन के साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण ने अपने उद्देश्य को निम्नलिखित शब्दों में समझायाः

" ..... हाल के दिनों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां विधानसभा के सदस्यों को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए दंडात्मक उपायों का सहारा लिया गया है। यदि इस पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो विधानमंडलों के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करना मुश्किल हो सकता है। अतः अध्यक्ष या सभापति द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति की आवश्यकता को अधिरोपित करने के लिए उपरोक्त दो अनुच्छेदों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि यदि अध्यक्ष या सभापति ऐसी जांच करने के बाद संतुष्ट हैं जो वह उचित समझते हैं कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है तो त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

24. इस्तीफों को स्वीकार करने में अध्यक्ष की भूमिका और

अयोग्यताक निर्धारण श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम कर्नाटक मामलामे एहि न्यायालयक तीन न्यायाधीशक पीठक निर्णयक विषय छल। विधान सभा 1 3. संशोधित अनुच्छेद 190 (3) (बी) के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताते हुए, निर्णय में निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैंः

विधायिका के एक सदस्य के पास एकमात्र अधिकार होता है

(1)

जारी रखना है या नहीं, यह निर्धारित करने का विशेषाधिकार

कार्यालय;

एक सदस्य जो इस्तीफा देना चाहता है उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है

((ख)

कार्यालय में बने रहें;

(iii)

अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की आवश्यकता होती है या

अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो;

((iv) सदस्य द्वारा कब्जा की गई सीट केवल तभी खाली होती है जब

त्यागपत्र की स्वीकृति;

13 (2020) 2 एस. सी. सी. 595 राज सिंह चौहान बनाम।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

(v)

अध्यक्ष की भूमिका यह निर्धारित करना है कि इस्तीफा दिया जाए या नहीं। "स्वैच्छिक या वास्तविक" है;

(vi) अध्यक्ष की संतुष्टि इस आधार पर होनी चाहिए -

प्राप्त या अन्यथा जानकारी और ऐसी पूछताछ करने पर जो उचित मानी जाए;

(vii) हालांकि, "वास्तविक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन त्याग पत्र की प्रामाणिकता का क्या अर्थ है; और

(viii) हालांकि, "स्वैच्छिक" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, इसका मतलब यह होगा कि त्यागपत्र का परिणाम नहीं होना चाहिए -

बल या जबरदस्ती की धमकी।

इस पीठ की ओर से न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना ने अध्यक्ष को सौंपी गई भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

जीः

" 79. तीसरा, अध्यक्ष इस्तीफे को अस्वीकार कर सकते हैं, यदि अध्यक्ष संतुष्ट हैं कि इस्तीफा "स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं था"। इसमें हमारा ध्यान अध्याय 22, नियम 202 (2) की ओर आकर्षित किया गया है।

विधान सभा [.] के अनुरूप नियम को पढ़ना संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) और इसके प्रावधान से यह स्पष्ट है कि

अध्यक्ष की संतुष्टि जानकारी पर आधारित होनी चाहिए।

प्राप्त किया और ऐसी पूछताछ करने के बाद जो वह उचित समझता है। द. उपरोक्त पहलुओं के लिए एक घुमावदार जांच की आवश्यकता नहीं है और

एक अध्यक्ष का अनुभव, जो सदन का प्रमुख है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी जांच करे जो आवश्यक हो और एक पारित करे

आदेश दें। यदि कोई सदस्य उसके सामने पेश होता है और लिखित में एक पत्र देता है, तो एक जांच एक सीमित जांच हो सकती है। लेकिन अगर उसे जानकारी मिलती है कि कोई सदस्य जबरदस्ती से अपना इस्तीफा दे रहा है, तो वह

यह पता लगाने के लिए कि क्या इस्तीफ़ा दिया गया है, एक औपचारिक जाँच शुरू करने का विकल्प चुनें

स्वैच्छिक और वास्तविक था।

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अंततः निर्णय दियाः " 83. हमारी उपरोक्त चर्चा को देखते हुए हमारा मानना है कि अध्यक्ष इस्तीफे को केवल तभी अस्वीकार कर सकते हैं जब जांच से पता

चलता है कि यह "स्वैच्छिक" या "वास्तविक" नहीं है। जाँच यह पता लगाने तक सीमित होनी चाहिए कि क्या सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ने का इरादा रखता है। एक बार जब यह प्रदर्शित हो जाता है कि कोई सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस्तीफा देने को तैयार है, तो अध्यक्ष के पास [2020] 9 एस. सी. आर. के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए। इस्तीफे पर विचार करते समय किसी भी अन्य बाहरी कारक को ध्यान में रखना अध्यक्ष के लिए संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। अध्यक्ष की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यह उपरोक्त संदर्भ में है कि अध्यक्ष द्वारा या

सभापति (जैसा भी मामला हो) को समझना होगा। अदालत इस बात की जांच करने के लिए अध्यक्ष के विवेक को बाधित नहीं कर सकती कि इस्तीफा "स्वैच्छिक" या "वास्तविक" है या नहीं। हालाँकि, न तो अध्यक्ष जनादेश की शर्तों को पार कर सकता है और सदस्य के अंतर्निहित उद्देश्यों की व्यापक जांच कर सकता है। यह काफी है कि

अध्यक्ष संतुष्ट हैं कि सदस्य का इस्तीफा "स्वैच्छिक" और "वास्तविक" है।

25. अदालत ने आगे कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के कारण इस्तीफे के साथ-साथ अयोग्यता भी हो सकती है

इसके परिणामस्वरूप विधायिका में सदस्य द्वारा आयोजित सीट खाली हो जाती है, लेकिन जो परिणाम सामने आते हैं वे अलग होते हैं। लेख के परिणामस्वरूप

164 (1 बी) एक सदस्य जिसे दलबदल के कारण अध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, उसे मंत्री के रूप में नियुक्त होने या अयोग्यता की तारीख से उनके पद की अवधि समाप्त होने की तारीख तक या विधानमंडल के लिए फिर से चुनाव होने तक, जो भी पहले हो, किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद पर रहने से रोक दिया जाता है। अदालत ने कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत, अध्यक्ष के पास अयोग्यता की अवधि निर्दिष्ट करने या किसी सदस्य को अयोग्यता के बाद विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक चुनाव लड़ने से रोकने की स्पष्ट शक्ति नहीं है।

राज्यपाल की कार्रवाई और कानूनी चुनौती

26. वर्तमान मामले में विवाद का केंद्र यह है कि क्या राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकार की सीमा के भीतर काम कर रहा था।

10 मार्च 2020 को त्यागपत्र। इन इस्तीफों में भाजपा की मिलीभुगत का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 13 मार्च 2020 को राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कहा कि एक जिम्मेदार नेता के रूप में वह आगामी बजट सत्र में अपनी सरकार के शक्ति परीक्षण को आमंत्रित करेंगे और उसका स्वागत करेंगे। विधानसभा को 16 मार्च 2020 से शुरू करने के लिए अधिसूचित किया गया।

यह, शिवराज सिंह चौहान बनाम के अनुसार है। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

मुख्यमंत्री, कम से कम एक संवैधानिक प्राधिकरण था जो चल रही उथल-पुथल को दूर करने की पेशकश कर सकता था। विधानसभा अध्यक्ष ने 13 मार्च 2020 और 14 मार्च 2020 को सभी बाईस सदस्यों (उनमें से छह कैबिनेट मंत्रियों सहित) को उनके सामने उपस्थित होने का अवसर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 13 मार्च को

2020 , छह सदस्यों को अयोग्यता के नोटिस जारी किए गए थे जो

वे मंत्रिमंडल के सदस्य थे। मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर कार्य करते हुए राज्यपाल ने इन छह व्यक्तियों को राज्य से बर्खास्त कर दिया कैबिनेट। 14 मार्च 2020 को विधानसभा के अध्यक्ष ने

मध्य प्रदेश विधानसभा नियमों के नियम 276 के अनुसार कार्य करते हुए, उन्होंने अपने इस्तीफे स्वीकार कर लिए। 14 मार्च 2020 को एक पत्र में

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से यह निर्धारित करने के लिए शक्ति परीक्षण करने का आह्वान किया कि क्या मुख्यमंत्री को यह निर्धारित करना है कि क्या सरकार को विधायिका का विश्वास हासिल है या नहीं। संचार में कहा गया है कि राज्यपाल के संबोधन के तुरंत बाद आगामी बजट सत्र की शुरुआत में शक्ति परीक्षण होना था। 27. राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्रों से संकेत मिलता है कि राज्यपाल ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया

यह निष्कर्ष निकालना कि फ्लोर टेस्ट की तत्काल आवश्यकता थीः

राज्यपाल द्वारा सूचना की प्राप्ति कि बाईस

(1)

जिन सदस्यों ने पहले मौजूदा सरकार का समर्थन किया था, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। जिन सदस्यों ने अपने इस्तीफे दिए थे

((ख)

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने निर्णय को संप्रेषित किया

मीडिया;

((iii) त्यागपत्रों की प्रतियाँ उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थीं।

राज्यपाल के बाईस सदस्य;

((iv) बाईस सदस्यों ने राज्यपाल से कहा था कि

उनके सामने उपस्थित होने की सुविधा के लिए सुरक्षा प्रदान करें

अध्यक्ष;

बाईस सदस्यों के समूह में जो थे

(v)

इस्तीफा देने वाले छह कैबिनेट मंत्री थे जिनके इस्तीफे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिए थे।

(vi) मुख्यमंत्री का 13 मार्च 2020 का पत्र जिसमें विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने की इच्छा का संकेत दिया गया है;

(vii) भाजपा (प्रमुख विपक्ष) से प्राप्त एक पत्र

विधान सभा) उपरोक्त की ओर इशारा करते हुए परिस्थितियाँ। भाजपा ने शिकायत की कि निविदा देने वाले सदस्यों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है

उनके इस्तीफे।

उपरोक्त सामग्री और परिस्थितियों के आधार पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि उन्होंने प्रथम दृष्टया यह राय बनाई है कि सरकार सदन में अल्पमत में आ गई है, जिससे बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद शक्ति परीक्षण करना आवश्यक हो गया है। सदन के सदस्यों को प्रसारित किए गए एजेंडे में शक्ति परीक्षण शामिल नहीं था। इसके बजाय, सदन की बैठक के तुरंत बाद, इसे कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रकोप के कारण 26 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

28. राज्यपाल की कार्रवाई जिसमें विश्वास मत की आवश्यकता होती है

अनिवार्य रूप से चुनौती के तीन व्यापक आधारों पर हमला किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि:

((i)

राज्यपाल के पास विश्वास मत का आदेश देने की कोई शक्ति नहीं थी

चल रही विधान सभा का पाठ्यक्रम या किसी भी दर पर

जब विधानसभा का सत्र चल रहा था;

((ख)

यदि राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति थी तो अभ्यास

राज्यपाल द्वारा विश्वास मत का आदेश देने की शक्ति

त्यागपत्र के मामलों को निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 190 (3) (बी) और संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधान के तहत अध्यक्ष को सौंपे गए अधिकार को बाधित करना और

क्रमशः अयोग्यता; और

(iii)

राज्यपाल के पास बनाने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ आधार या सामग्री नहीं थी

प्रथम दृष्टया राय है कि मौजूदा सरकार ने

मध्य प्रदेश विधान सभा में अपना बहुमत खो दिया

सभा।

29. इससे पहले कि हम उठाए गए संवैधानिक मुद्दों से निपटें

उपरोक्त प्रस्तुतियों में, इस निवेदन पर विचार करना आवश्यक है कि अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और राज्यपाल के लिए उस प्रक्रिया में बाधा डालने का कोई औचित्य नहीं था। अपनी दलीलों के दौरान, डॉ. सिंघवी ने भाजपा के प्रति निष्ठा रखने वाले 54 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी। हलफनामे की सामग्री और अवधि से यह स्पष्ट है कि यह हस्ताक्षरकर्ताओं की स्थिति का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है कि वे भाजपा और शिवराज सिंह चौहान बनाम का समर्थन करेंगे।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

मौजूदा सरकार के खिलाफ मतदान करें। हलफनामे को नंगे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यह एक बुलाने के लिए अनुरोध को अभिनिर्धारित नहीं करता है

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि विश्वास मत बुलाने के लिए कोई समानांतर कार्यवाही मौजूद नहीं है, अब हम इस बात की ओर रुख करते हैं कि क्या राज्यपाल ने विश्वास मत का आह्वान करने में अपने संवैधानिक अधिकार के दायरे में काम किया है।

अदालत के समक्ष सवाल

मानकों को बनाए रखा जा सकता है, और अदालत द्वारा निर्धारित परिणाम से राजनीतिक संतुलन के झुकने की संभावना है। हम इन दलीलों को खारिज करते हैं। केवल इसलिए कि वर्तमान विवाद निर्वाचित लोगों के आचरण से संबंधित है प्रतिनिधि, या जो उपाय मांगा गया है वह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत इस पर विचार करने से इनकार कर देगी। राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1 4 में यह तर्क दिया गया था कि क्या

राज्य संविधान के अनुसार काम करना जारी रख सकता था एक राजनीतिक प्रश्न जो न्यायालयों में न्यायोचित नहीं है। शुरुआत में इस निवेदन को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति भगवती (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने अपने और न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता के लिए कहाः

" [अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल] ने आग्रह किया कि समस्या की राजनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायिक निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसलिए न्यायालय को इसकी जांच करने से बचना चाहिए। हमें नहीं लगता कि हम इस तर्क को स्वीकार कर सकते हैं। बेशक, यह सच है कि यदि न्यायालय के समक्ष लाया गया कोई प्रश्न विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक प्रश्न है जिसमें किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार या दायित्व का निर्धारण शामिल नहीं है, तो न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय का संबंध केवल कानूनी अधिकारों के निर्णय से है।

1 4 14 (1977) 3 एस. सी. सी 592 [2020] 9 एस. सी. आर.

और देनदारियाँ। लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक सवाल का राजनीतिक महत्व होता है।

रंग, कि अपने आप में कोई आधार नहीं है कि न्यायालय को क्यों करना चाहिए

संविधान के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने से सिकुड़ें यदि वह

संवैधानिक प्रश्न आवंटन और अभ्यास से संबंधित है। सरकारी शक्ति और कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं हो सकता है,

इसलिए, राजनीतिक होने में विफल रहता है। संविधान शुद्धतम विषय है। राजनीति, शक्ति की एक संरचना और जैसा कि चार्ल्स ब्लैक द्वारा बताया गया है

संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में

कानून और राजनीति के एक प्रतिच्छेदन का प्रतीक है, जिसमें

राजनीतिक शक्ति पर कानूनी परंपरा में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाता है, न्यायिक संस्थानों में काम करना, कानून की प्रक्रियाओं का पालन करना

जैसा वकील सोचते हैं "।

(जोर दिया गया)

ऐसी स्थितियों में न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट करते हुए, विद्वान

यह देखा गयाः

" यह न्यायालय संविधान का अंतिम दुभाषिया है और

वह शाखा ऐसी सीमाओं का उल्लंघन करती है। यह इस अदालत को कायम रखना है संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक सीमाओं को लागू करना।

के तहत शक्ति का स्पष्ट रूप से अनधिकृत प्रयोग संविधान, हस्तक्षेप करना न्यायालय का कर्तव्य है। जाने दीजिए।

यह नहीं भुलाया जा सकता है कि इस न्यायालय के लिए उतना ही जितना अन्य के लिए

सरकार की शाखाएँ, संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। अदालत का काम है कि

संवैधानिक योजना में उन मूल्यों की पहचान करें और उन पर काम करें

उन मामलों में जो न्यायालय तक पहुँचते हैं। "

(जोर दिया गया)

संविधान को अपनाने के बाद से, इस न्यायालय ने कई मामलों पर विचार किया है

इस बात पर निर्णय लिया गया कि क्या विधायी और

सक्रिय शाखाएँ द्वारा बनाई गई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करती हैं

शीर्षक। संवैधानिक पाठ के अंतिम मध्यस्थ के रूप में, इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि सरकार की प्रत्येक शाखा इसके भीतर काम करे।

शिवराज सिंह चौहान बनाम के क्षेत्र सहित संविधान द्वारा इस पर रखे गए मिट्स।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

लोकतांत्रिक राजनीति। वर्तमान विवाद मध्य प्रदेश राज्य के भीतर कार्यपालिका के नाममात्र प्रमुख के रूप में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के भीतर कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के बीच विवाद से उत्पन्न होता है।

फर्श परीक्षण। केवल इसलिए कि राज्यपाल द्वारा किया गया प्रथम दृष्टया निर्धारण पदधारी को प्राप्त राजनीतिक समर्थन का था सरकार या मांग की गई कार्रवाई एक राजनीतिक प्रक्रिया थी (शक्ति परीक्षण) इस अदालत के मामले की सुनवाई नहीं करने का कारण नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामला इस न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्धारण के लिए उपयुक्त है। वास्तव में ऐसा ही है।

राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका

32. हमें संवैधानिक योजना के संचालन पर विचार करना चाहिए।

राज्य विधानमंडल और राज्यपाल के कार्यालय के बीच। संवैधानिक सिद्धांत के रूप में, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और विधान सभा शामिल हैं (और द्विसदनीय विधानमंडल के मामले में, इसमें विधान परिषद भी शामिल है)। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है, जिसमें अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते समय, एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। 15

33. संविधान को अपनाने से पहले, (तत्कालीन) प्रांतों की विधायी प्रक्रियाओं की निगरानी करने का राज्यपाल का विवेकाधिकार

भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 50 में निहित किया गया था। प्रावधान में कहा गया है कि राज्यपाल किसी प्रांत के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा "सिवाय इसके कि इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत उसे अपने या उनमें से किसी भी कार्य को अपने विवेक से करने की आवश्यकता है।"

15 अनुच्छेद 158। राज्यपाल कार्यालय की शर्तें। (1) राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी भी सदन या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपनी सीट उस तारीख को खाली कर दी है जिस दिन वह राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करेगा।

धारा 50 ने प्रांत के राज्यपाल को यह शक्ति भी दी कि

मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करें। हमारे संविधान के निर्माण के दौरान, एक बार यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल का पद नामांकन द्वारा भरा जाएगा न कि चुनाव द्वारा, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, मसौदा समिति ने अनुच्छेद 143 के मसौदे में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को बनाए रखना बुद्धिमानी मानी।

(जो अंततः संविधान का अनुच्छेद 163 बन गया)। हालाँकि, यह निर्णय हल्के में नहीं लिया गया था। जब अनुच्छेद को अपनाने का प्रस्ताव पेश किया गया, तो एच. वी. कामत ने अनुच्छेद पर आपत्ति जताई और निम्नलिखित भाषण में एक संशोधन का सुझाव दियाः

" श्रीमान, जब आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, तो दूसरे दिन डॉ.

अम्बेडकर ने इस खंड को यह कहते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति हैं

अपने सभी मंत्रियों की सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य

उनके कार्य। लेकिन यहाँ अनुच्छेद 143 कुछ विवेकाधीन निहित करता है।

राज्यपाल में शक्तियाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा भी था, यह

काफी खराब था, लेकिन अब अनुच्छेद 131 में संशोधन करने के बाद

राज्यपाल के चुनाव के संबंध में और नामितों को स्वीकार किया गया

राज्यपाल को इन अतिरिक्त शक्तियों के साथ निवेश करें, अर्थात् - विवेकाधीन शक्तियाँ। मुझे लगता है कि कोई प्रस्थान नहीं

संवैधानिक सरकार के सिद्धांतों का समर्थन किया जाना चाहिए।

आपातकाल के कारणों और इन विवेकाधीन कारणों को छोड़कर

शक्तियों को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह संशोधन

सदन के समक्ष मेरी प्रशंसा होगी। मैं चलता हूँ, साहब। " 1 6

(जोर दिया गया)

एच. वी. कामत द्वारा प्रस्तावित संशोधन को हटाने का प्रयास किया गया

आपातकाल के मामले को छोड़कर सभी विवेकाधीन शक्तियों का राज्यपाल। महत्वपूर्ण रूप से, एच. वी. कामत द्वारा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करने का कारण यह था कि हाल ही में यह निर्णय लिया गया था

यह लिया गया कि राज्यपाल को नामित किया जाएगा न कि चुना जाएगा। इस प्रकार, एक अनिर्बाचित संवैधानिक प्राधिकरण को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करना।

एच. वी. कामथ के दिमाग में, "संवैधानिक सरकार के सिद्धांतों से एक प्रस्थान" था।

16 भारत की संविधान सभा, खंड VIII (1 जून 1949 की बहस)

शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

34. राज्यपाल को हटाने के लिए उपरोक्त संशोधन का विरोध करना

विवेकाधीन शक्तियाँ, ब्रजेश्वर प्रसाद ने सदन को संभाला और कहाः

" मुझे लगता है कि राज्यपाल को शक्ति प्रदान की जानी चाहिए

विशेष जिम्मेदारियाँ जो अंग्रेजों के अधीन राज्यपालों को होती थीं

शासन इस देश में निहित था। मुझे लगता है कि एक कमी है प्रांतों में नेतृत्व। सक्षम पुरुष नहीं हैं

उपलब्ध है और इसमें सभी प्रकार की चीजें चल रही हैं

विभिन्न प्रांत। जब तक कि राज्यपाल के पास बड़ी राशि न हो सत्ता में किसी भी सुधार को प्रभावित करना मुश्किल होगा

प्रांतीय प्रशासन। ऐसी प्रक्रिया हो सकती है

अलोकतांत्रिक लेकिन ऐसी प्रक्रिया पूरी तरह से सही होगी।

देश के हित में। मुझे लगता है कि कोई रचनात्मक ऊर्जा नहीं है। इस देश के मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों में छोड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि

पहल और उद्यम से वंचित हो गए हैं। जनता जो होना चाहिए कि इस देश के शासक पददलित और शोषित हैं

हर तरह से। इन परिस्थितियों में कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा जाता है।

लेकिन भारत सरकार के लिए प्रांतीय लेने के लिए

प्रशासन अपने हाथों में। मुझे लगता है कि हम

इस देश में क्रांति की दहलीज। वहाँ होगा

इस देश में क्रांति, रक्तपात और अराजकता। मैं महसूस करता हूँ। कि इस समय यह आवश्यक है कि सभी शक्तियों को

कुछ प्रांतों में कानून और व्यवस्था की मशीनरी प्रतीत होती है पूरी तरह से टूट गए हैं। डकैती, आगजनी, लूट, हत्या और

मुद्रास्फीति की स्थिति प्रबल है। मैं इस अनुच्छेद का विरोध करता हूँ,

क्योंकि मुझे विश्वास है कि संघवाद सफल नहीं हो सकता है

देश जो एक अस्थायी अवधि से गुजर रहा है। 1 7

(जोर दिया गया)

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की रक्षा करते हुए,

सदस्य ने स्वीकार किया कि विवेकाधीन शक्तियों का अनुदान राज्यपाल लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ थे। हालाँकि, सदस्य ने दो प्रमुख ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखा जो उनके विचार में

इस तरह की शक्तियों के अनुदान की आवश्यकता थीः पहला, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रांतों में सक्षम प्रशासकों की कमी। संविधान द्वारा परिकल्पित और दूसरा, ऐसे समय में केंद्रीकृत और समन्वित शासन की आवश्यकता जब भारत की एकता और अखंडता अभी भी संदेह में थी।

35. रोहिणी कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों का विज्ञापन करना उचित है।

संविधान सभा की बहसों में चौधरी वर्तमान विवाद के आलोक में विशेष रूप से दूरदर्शी हैं। एच. वी. कामत द्वारा विवेकाधीन शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए किए गए संशोधन का समर्थन करते हुए

राज्यपाल, सदस्य ने कहाः

" महोदय, मुझे अपनी कीमत और अपने प्रांत की कीमत के बारे में पता है कि

' राज्यपाल द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करना।

यह वर्ष 1942 में था जब एक राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर रहा था।

एक अल्पसंख्यक पार्टी से अपने मंत्रालय का चयन किया और वह अल्पसंख्यक था

अंततः वे बहुमत में परिवर्तित हो गए। मुझे भी पता है, और घर

यह भी याद रखेंगे कि उनके विवेक का प्रयोग सिंध प्रांत के राज्यपाल ने एक को बर्खास्त कर दिया

लोकप्रिय मंत्री-श्री अल्लाह बक्स। महोदय, अगर इसके बावजूद

हमारा अनुभव हमें राज्यपालों को कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है

अपने विवेक के प्रयोग में कार्य करने की शक्तियाँ, मुझे डर है कि हम

" 18

हम अभी भी उस अतीत में जी रहे हैं जिसे हम सभी भूलना चाहते थे।

राज्यपाल को एक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार प्रदान करने में

राज्यों की विधानसभाओं में, एक जोखिम मौजूद है कि राज्यपाल का अनिर्बाचित कार्यालय लोकतांत्रिक रूप से प्राप्त चुनावी स्थिति को बदल सकता है

परिणाम। ऊपर दिए गए उदाहरणों से पता चलता है कि संविधान के निर्माता स्वयं भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग के अधीन थे और राज्यपाल के कार्यालय से जुड़े जोखिमों से पूरी तरह से अवगत थे।

राज्यपाल।

36. संविधान की व्याख्या करने में यह सही नहीं होगा कि

संविधान सभा के अलग-अलग सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों पर भरोसा करें। प्रत्येक भाषण विधानसभा में एक व्यक्ति के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो समग्र रूप से प्रतिस्पर्धी राजनीतिक विचारधाराओं का एक बहुरूपदर्शक है। ऐसे उदाहरण उत्पन्न हो सकते हैं जहां अदालत की स्वतंत्र राय है कि व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा उठाए गए विचार

संविधान सभा अपने भाषणों में ऐसे विचारों को निर्धारित करती है जो न्यायालय द्वारा जांच और अनुमोदन की गारंटी देते हैं। हालांकि, सामान्य नियम संविधान सभा द्वारा बहुमत से लिए गए निर्णयों की जांच करना होगा। संविधान सभा के मत विधानसभा के सभी सदस्यों के विचारों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे संविधान को तैयार करने में लिए गए संवैधानिक विकल्पों की अंतिम और स्वभावगत अभिव्यक्तियाँ हैं। इस सवाल पर कि क्या संविधान को अनुदान देना चाहिए

18 भारत की संविधान सभा, खंड VIII (1 जून 1949 की बहस)

शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ, प्रश्न विधानसभा के समक्ष रखा गया थाः

" सवाल यह हैः " कि अनुच्छेद 143 के खंड (1) में, 'जहां तक वह इस संविधान द्वारा या उसके तहत अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित है या उनमें से किसी भी अपने विवेकाधिकार में' शब्दों को छोड़कर

हटा दिया गया "।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

इस प्रकार संविधान सभा ने राज्यपाल के पद को संविधान के तहत कुछ विवेकाधीन शक्तियों के साथ सौंपने का निर्णय लिया। में।

यह निर्णय लेते हुए, संविधान सभा को पता था कि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां देने में कुछ जोखिम हैं, जिनमें गठन, व्यवधान और विघटन के सवाल शामिल हैं।

लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें। हालांकि, निर्माताओं ने महसूस किया कि यह निर्णय संविधान को अपनाने के समय मौजूद अद्वितीय ऐतिहासिक कारकों के कारण आवश्यक था और यह उम्मीद की गई थी कि हमारी राजनीति के परिपक्व होने के साथ, संवैधानिक राजनीतिक कौशल और विश्वास का एक स्तर अधिक हिंसक समय के लिए आवश्यक संवैधानिक विकल्पों की दरारों पर हावी हो जाएगा।

37. संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत अंततः राज्यपाल को निहित विवेकाधीन शक्तियां जनरल के लिए एक अपवाद का प्रतिनिधित्व करती हैं।

सहायता और सलाह का नियम। संविधान सहायता और सलाह के सिद्धांत का प्रतीक है और ऐसा करने में, इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्यपाल राज्य का एक नाममात्र प्रमुख है, जबकि वास्तविक अधिकार और शक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित है। मंत्रिपरिषद है राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए, राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहाः

" 321. संसद के प्रति मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी को दो पहलुओं में समझा जाता हैः (i) सरकार की नीतियों के लिए मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी; और (ii) अपनी सरकारों के कार्यों के लिए मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। इस विभाजन के पीछे का विचार, जैसा कि बिर्च ने समझाया है, एक सरकार को अपने कार्यों के लिए लगातार जवाबदेह ठहराना है, ताकि उसे हमेशा इस संभावना का सामना करना पड़े कि एक बड़ी गलती के परिणामस्वरूप संसदीय समर्थन वापस ले लिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

324. ग्रैनविल ऑस्टिन का मानना है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को तब प्राप्त किया जा सकता है जब प्रत्यक्ष, जिम्मेदार सरकार की संस्थाएं 'संविधान सभा के सदस्य ब्रिटिश संवैधानिक सिद्धांत से सरकार के संसदीय-मंत्रिमंडल रूप को उधार लें और इसे हमारे संविधान में अपनाएं। हालांकि संविधान सभा ने ब्रिटिश संवैधानिक सम्मेलनों को लिखित रूप में नहीं अपनाया, लेकिन मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी को विशेष रूप से इसमें शामिल किया गया था।

भारत का संवैधानिक ढांचा।

विधान सभा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है और सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।

मंत्री तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें विधायिका का विश्वास बना रहता है। इस अवधारणा का अभिन्न अंग सरकार के आचरण, निर्णयों और मामलों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए राज्य विधानमंडल का अंतिम अधिकार है। विधायिका सदन के पटल पर होने वाली बहसों के साथ-साथ सरकारी विभागों पर निगरानी रखने के माध्यम से ऐसा करती है। राज्यों के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए विधायी निकायों में राज्य की कार्यकारी शाखा और इसकी विधायी शाखा के बीच संबंध केवल संवैधानिक पीड़ा का विषय नहीं है। मंत्रिपरिषद को विधान सभा के प्रति जवाबदेह बनाने और विधान सभा को राज्य के मामलों की निगरानी करने का अधिकार सौंपने में, संविधान एक जटिल प्रक्रिया बुनता है जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के नियंत्रण और संतुलन का प्रतिनिधित्व करने के रूप में वर्णित किया गया है।

शासन।

38. संविधान अपने विधायी निकायों के कार्यकाल, उनके आयोजन, बैठकों और अंतिम विघटन के संबंध में अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है। राज्य विधानमंडल की अवधि पाँच के रूप में निर्धारित की गई है पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से वर्ष, जब तक कि विधायिका जल्द ही भंग नहीं हो जाती। विधानसभा के गठन के उद्देश्य से चुनाव होने के बाद, राज्यपाल द्वारा विधायिका को ऐसे समय और स्थान पर बैठक करने के लिए बुलाया जाता है जो वह उचित समझता है। विधायिका को बुलाए जाने पर, राज्यपाल को अधिकार सौंपा जाता है

सदन का सत्रावसान करना। सदन के सत्रावसान की अवधारणा विधान सभा के विघटन से अलग है। करने का निर्णय

सदनों का सत्रावसान विधानसभा की अवधि को समाप्त नहीं करता है। सभा की अवधि जो अनुच्छेद शिवराज सिंह चौहान v द्वारा पाँच वर्ष के रूप में निर्धारित की गई है।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

172 बैठक के लिए निर्धारित पहली तारीख से गिनती की गई इस अवधि की समाप्ति पर या पहले के विघटन पर समाप्त किया जाता है। सदन को बुलाने में, और इसे स्थगित करने या भंग करने का निर्णय लेने में, राज्यपाल आम तौर पर परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।

मंत्री। विधायिका के प्रति जिस प्राथमिक आधार पर मंत्रिपरिषद की जवाबदेही तय की जाती है, वह उस संबंध के माध्यम से है जिसकी संविधान सरकार और विधायिका के निर्वाचित निकाय के बीच कल्पना करता है। मंत्रिपरिषद से खींची जाती है

विधायी निकाय, मंत्रिपरिषद की सदस्यता (छह महीने की अवधि से अधिक) सदन की सदस्यता पर निर्भर है। लेकिन इस सिद्धांत के अलावा कि मंत्रिपरिषद का सदस्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही अंतिम अधिकार द्वारा निर्धारित की जाती है जो मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने के लिए विधायिका को प्रदान की गई थी। कल्पना में

एक संवैधानिक राजनेता के रूप में राज्यपाल की भूमिका, यह सुनिश्चित करने के लिए व्याख्या के क्रम में ध्यान रखा जाना चाहिए कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच संविधान द्वारा परिकल्पित शक्ति का संतुलन राज्यपाल कार्यालय द्वारा बनाए रखा जाए।

राज्यपाल की शक्ति

39. यह मुद्दा कि क्या राज्यपाल पहले से गठित विधानसभा में विश्वास मत का आह्वान कर सकता है, पूरी तरह से एकीकृत नहीं है। इससे पहले

एस. आर. बोम्मई में इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने जिन व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया, उनमें कर्नाटक राज्य से उत्पन्न विवाद भी शामिल था। कर्नाटक राज्य में मार्च 1985 में विधानसभा चुनावों के बाद जनता विधायक दल का उदय हुआ। बहुमत के साथ। श्री रामकृष्ण हेगड़े को पार्टी का नेता चुना गया और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके इस्तीफे के बाद, श्री बोम्मई को पार्टी के नेता के रूप में चुना गया और उन्होंने 30 अगस्त 1988 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सितंबर 1988 में जनता पार्टी का लोक दल (बी) के साथ विलय हुआ जिसके परिणामस्वरूप जनता दल का गठन हुआ। 17 अप्रैल 1989 को एक विधायक ने पार्टी छोड़ दी और कर्नाटक के राज्यपाल को अपना समर्थन वापस लेने का पत्र सौंपा।

जनता दल सरकार से। विधायक ने अगले दिन राज्यपाल से मुलाकात की और जनता दल के सत्रह विधायकों, एक निर्दलीय और एक भाजपा विधायक के जनता दल सरकार से समर्थन वापस लेने के 19 पत्र प्रस्तुत किए। 19 अप्रैल 1989 को, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया था कि समर्थन वापस लेने के परिणामस्वरूप, सत्तारूढ़ दल [2020] 9 एस. सी. आर. में अल्पमत में आ गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत शुरू किया गया। इसके बाद 20 अप्रैल को 1989 , सात विधायकों ने राज्यपाल को पत्र सौंपकर शिकायत की कि उनके हस्ताक्षर गलत तरीके से किए गए हैं और

श्री बोम्मई की सरकार के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की। राज्य मंत्रिमंडल ने 27 अप्रैल 1989 को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की और यदि आवश्यक हो तो विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाकर सदन में अपना बहुमत साबित करने की पेशकश की। इसके बावजूद, राज्यपाल ने 20 अप्रैल 1989 को राष्ट्रपति को एक और रिपोर्ट सौंपी और अगले ही दिन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी की गई। इसी पृष्ठभूमि में एस. आर. बोम्मई की नौ-न्यायाधीशों की पीठ को इसकी वैधता निर्धारित करने के लिए बुलाया गया था।

राज्यपाल के कार्य। यह मानते हुए कि राज्यपाल के कार्य अनुचित थे, न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने कहाः

" 391. ..... संविधान ऐसा दायित्व नहीं बनाता है कि -

मंत्रालय बनाने वाले राजनीतिक दल के पास अनिवार्य रूप से एक होना चाहिए

विधानमंडल में बहुमत। अल्पसंख्यक सरकारें नहीं हैं

अज्ञात। यह आवश्यक है कि सरकार

सदन के विश्वास का आनंद लें। यह पहलू नहीं है

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल ने इसे ध्यान में रखा है। दूसरा

सदन के तल को छोड़कर अन्य। का सिद्धांत हमारे संविधान में अंतर्निहित लोकतंत्र का अनिवार्य रूप से अर्थ है

कि इस तरह के किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन में किया जाना चाहिए

घर को। सदन वह स्थान है जहाँ लोकतंत्र है। कार्रवाई। यह राज्यपाल के लिए नहीं है कि वह उक्त प्रश्न का निर्धारण करे

स्वयं या स्वयं के सत्यापन पर। यह उसके भीतर की बात नहीं है।

व्यक्तिपरक संतुष्टि। यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है जो होने में सक्षम है

सदन के फर्श पर स्थापित।

हिंसा या अन्य असाधारण का सभी व्याप्त वातावरण कारणों से, विधानसभा के सदस्यों के लिए यह संभव नहीं हो सकता है

स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने के लिए। लेकिन ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई थी। यहाँ।

(जोर दिया गया)

शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि क्या सवाल

एक चल रही विधान सभा में मंत्रिपरिषद आदेश देती है कि सदन का विश्वास एक ऐसा मामला है जिसे केवल सदन के पटल पर निर्धारित किया जाना है और यह राज्यपाल के लिए नहीं है कि वह अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर मुद्दे का निर्धारण करे। इस मानदंड का एकमात्र अपवाद जो अदालत ने तैयार किया था वह था जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां विधान सभा के सदस्य प्रचलित हिंसा के परिणामस्वरूप या अन्य असाधारण कारणों से स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

40. न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी के फैसले में भी एक

भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपालों की एक समिति द्वारा प्रस्तुत सर्वसम्मत रिपोर्ट में संकेत दिया गया है किः

" 393. इस संबंध में, यह ध्यान देना उचित होगा कि

द्वारा नियुक्त राज्यपालों की समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति। पाँच राज्यपालों ने सर्वसम्मति से

सिफारिश की कि मंत्रालय में विश्वास की परीक्षा होनी चाहिए आम तौर पर विधानसभा में मतदान के लिए छोड़ दिया जाता है। ..... कहाँ का

राज्यपाल को किसी भी प्रक्रिया या साधन से संतुष्टि होती है कि

मंत्रालय को अब बहुमत का समर्थन नहीं है, उसे चाहिए

मंत्री इस प्राथमिक जिम्मेदारी से बचते हैं और ऐसा करने में विफल रहते हैं। इसका पालन करते हुए, राज्यपाल कदम उठाने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा

एक वैकल्पिक मंत्रालय का गठन करना। मुख्यमंत्री का इनकार

विधानसभा के पटल पर अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए अच्छी तरह से कर सकते हैं उसकी अब आनंद नहीं लेने के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में व्याख्या की जाए

विधायिका का विश्वास। यदि तब, एक वैकल्पिक मंत्रालय गठन किया जा सकता है, जो राज्यपाल के विचार में आदेश देने में सक्षम है

और कार्यालय में वैकल्पिक मंत्रालय स्थापित करें। दूसरी ओर, यदि ऐसा कोई मंत्रालय संभव नहीं है, राज्यपाल के पास कोई नहीं बचेगा

वैकल्पिक लेकिन अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट बनाना

356 ..... "

(जोर दिया गया)

इसके बाद मामले से संबंधित तथ्यों से निपटना

कर्नाटक राज्य के न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने कहाः

" 395. उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि

फ्लोर टेस्ट अनिवार्य नहीं है। अगर केवल लोकतांत्रिक [2020] 9 एस. सी. आर. को ध्यान में रखा जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान में अंतर्निहित सिद्धांत और यह तथ्य कि यह है

न केवल 20 अप्रैल, 1989 को विधानसभा बुलाने का निर्णय लिया गया 27 उसी महीने की तारीख, यानी 7 दिनों के भीतर, लेकिन इसकी पेशकश भी की गई

यदि राज्यपाल चाहें तो विधानसभा को पहले कर दें। यह हमें दुखी करता है

प्रस्ताव दें। वास्तव में, विधानसभा को बुलाना उनका कर्तव्य था और मुख्यमंत्री से यह स्थापित करने के लिए कहें कि उन्हें आनंद आया

सदन का विश्वास। न केवल उन्होंने ऐसा किया, बल्कि

जब मंत्रिपरिषद ने ऐसा करने की पेशकश की, तो उन्होंने

राष्ट्रपति। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट में प्रासंगिक सामग्री थी या उस पर आधारित थी।

राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था।

स्वयं का मूल्यांकन। सदन का विश्वास खोना

एक वस्तुनिष्ठ तथ्य था, जिसे प्रदर्शित किया जा सकता था,

किसी न किसी तरह से, सदन के पटल पर। हमारे देश में राय, जहाँ भी कोई संदेह उत्पन्न होता है कि क्या परिषद

मंत्रियों ने सदन का विश्वास खो दिया है, केवल इसका परीक्षण करने का तरीका सदन के पटल पर है, सिवाय इसके कि

असाधारण स्थिति जहाँ व्यापक हिंसा के कारण,

राज्यपाल निष्कर्ष पर आता है और उसी को दर्ज करता है

उनकी रिपोर्ट-कि उनके द्वारा उल्लिखित कारणों के लिए, एक स्वतंत्र वोट है सदन में संभव नहीं है।

" "

(जोर दिया गया)

नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों का विश्लेषण करते हुए

उम्मई यह याद रखना उचित है कि उस मामले में राज्यपाल

या फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल करें। बल्कि, कर्नाटक के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक टी भेजा, जिसके आधार पर धारा 356 के तहत एक घोषणा जारी की गई थी। एस. आर. बोम्मई में टिप्पणियों पर भरोसा किया जा सकता हैखनन क्या राज्यपाल के पास एक के लिए बुलाने की शक्ति है

परीक्षण। अभ्यास कब किया जाता है, इसके बाद के प्रश्न का पता लगाना।

शक्ति उचित है यह एक अलग मुद्दा है। उपरोक्त के अवलोकन परएस. आर. बोम्मई में यह स्पष्ट है किः

मंत्रिपरिषद खो चुकी है या नहीं

((i)

सदन का विश्वास केवल शिवराज सिंह चौहान बनाम पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

सदन का तल और राज्यपाल द्वारा नहीं

स्वतंत्र सत्यापन;

((ख)

जहाँ राज्यपाल के पास यह मानने के कारण हैं कि निवर्तमान सरकार के पास विधान सभा में बहुमत का समर्थन नहीं है, राज्यपाल के लिए कार्रवाई का सही तरीका यह होगा कि वह मुख्य मंत्री को बुलाए

मंत्री को विधानसभा का सामना करना होगा और कम से कम समय में मौजूदा सरकार का बहुमत स्थापित करना होगा

समय; और

(111) जाँच के अपरिवर्तनीय नियम के लिए एक अपवाद कि क्या सरकार के पास विधानसभा का विश्वास है

सदन की परिकल्पना केवल असाधारण परिस्थितियों में की जाती है जहां "सभी व्यापक हिंसा" के अस्तित्व के कारण,

सदन में स्वतंत्र मतदान संभव नहीं है।

41. संवैधानिक कानून के मामले में, इस आधार पर आगे बढ़ना सही नहीं होगा कि संवैधानिक प्राधिकरण को सौंपा गया है

राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद से सदन में अपना बहुमत साबित करने की आवश्यकता का प्रयोग आम चुनाव होने के बाद ही किया जा सकता है, न कि जब राज्यपाल के पास यह मानने के लिए वस्तुनिष्ठ कारण हों कि मौजूदा सरकार को सदन का विश्वास हासिल नहीं है। राज्यपाल को सत्ता से वंचित नहीं किया जाता है

एक शक्ति परीक्षण का आदेश देने के लिए जहां राज्यपाल को उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या सरकार सदन के विश्वास का मूल्यांकन शक्ति परीक्षण के आधार पर करने की आवश्यकता है। निस्संदेह, राज्यपाल को इस तरह का कार्य सौंपने का उद्देश्य मौजूदा सरकार को अस्थिर करना नहीं है। जब

जिस संतुष्टि के आधार पर राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है, उस पर सवाल उठाया जाता है, राज्यपाल का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। अदालत इस बात की जांच करने में उचित होगी कि क्या राज्यपाल के पास प्रथम दृष्टया फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश देने के लिए प्रासंगिक और व्यापक सामग्री थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्यपाल यह तय नहीं करता है कि मौजूदा सरकार को सदन का विश्वास हासिल है या नहीं। विधान सभा में शक्ति परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य निश्चित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाना है कि क्या मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास प्राप्त है; कि सत्यापन राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है। एस. आर. बोम्मई के फैसले में वास्तव में कहा गया था कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का सहारा लेना ऐसी स्थिति में आवश्यक नहीं था जहां विश्वास का मुद्दा अभी भी [2020] 9 एस. सी. आर. हो सकता है।

विश्वास मत का आह्वान करके सदन के पटल पर परीक्षण किया गया। निस्संदेह, उस मामले में, यह मुख्यमंत्री ही थे जिन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सुझाव दिया था कि सदन को मंत्रिपरिषद के बहुमत का परीक्षण करने के उद्देश्य से बुलाया जाना चाहिए। निर्णय का महत्व इस तथ्य में निहित है कि राज्यपाल का निर्णय

अनुच्छेद 356 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस आधार पर गलती की गई थी कि शक्ति परीक्षण एक उचित कार्रवाई होगी।

42. एस. आर. बोम्मई में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में जो सिद्धांत निर्धारित किया गया है, उसकी पुष्टि संविधान पीठ ने की है।

नेबाम रेबिया में। संविधान पीठ का फैसला तब आया जब अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर 3 नवंबर 2015 को राज्य की विधानसभा को 14 जनवरी 2016 को बैठक के लिए बुलाया। इसके बाद, राज्यपाल ने अरुणाचल विधानसभा का सत्र 16 तक बढ़ा दिया।

दिसंबर 2015 और 19 दिसंबर 2015 के एक आदेश द्वारा, राज्यपाल ने सदन की कार्यवाही के संचालन के तरीके का संकेत दिया। 19 नवंबर 2015 को सदन के तेरह सदस्यों द्वारा विधानसभा के सचिव को अध्यक्ष को हटाने के लिए एक नोटिस भेजा गया था। 9 दिसंबर 2015 के राज्यपाल के संदेश का एक प्रमुख कारण राज्यपाल की यह समझ थी कि यदि अध्यक्ष को हटाने के मुद्दे पर विचार नहीं किया जाता है तो यह संवैधानिक अनुचितता का कार्य होगा। तुरंत। इस पहलू पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहा कि भारत सरकार 1935 की धारा 53 के प्रावधानों के विपरीत (जो राज्यपाल को अपने विवेक से सदन को संदेश भेजने की अनुमति देता है) अनुच्छेद 175 में इसी तरह की अभिव्यक्ति नहीं है। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि सदन के लिए राज्यपाल के संदेशों को "ऐसा माना जाना चाहिए

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा उचित समझी जाने वाली सीमा तक सीमित। अध्यक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने नबाम रेबिया में निर्णय के इस पहलू पर जोर दिया और आग्रह किया कि विधान सभा के साथ राज्यपाल को सहायता और सलाह के सिद्धांत से बंधा होना चाहिए। मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि संविधान पीठ के फैसले में इससे आगे की कोई भी टिप्पणी आज्ञाकारी है। न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर ने राज्यपाल की शक्तियों पर ध्यान देते हुए एम. एन. कौल के ग्रंथ का उल्लेख किया

और एस. एल. शकधर 20, यह देखते हुए किः

20 लोकसभा सचिवालय राज सिंह चौहान बनाम द्वारा प्रकाशित संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

" 165 ..... राज्यपाल सदन को बुलाएगा या स्थगित करेगा या

राज्य विधानमंडल के सदनों की सहायता और सलाह पर मुख्यमंत्री। लेखकों के कथन से पता चलता है कि यह होगा

राज्यपाल के लिए एक वैकल्पिक तिथि का सुझाव देने के लिए खुला रहें

राज्य के सदन या सदनों को बुलाना या स्थगित करना विधानमंडल, लेकिन उपरोक्त मुद्दे पर अंतिम निर्धारण रहता है

मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के साथ, जो स्वीकार करने का निर्णय ले सकता है

या स्वीकार न करने के लिए, राज्यपाल द्वारा सुझाई गई वैकल्पिक तिथि।

एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर की राय संगत है।

संविधान सभा की बहसों के साथ। पद केवल मिलता है

परिवर्तित, जब सत्ता में सरकार अपना बहुमत खो देती है

घर में। सत्रावसान के संदर्भ में, राय

लेखकों द्वारा व्यक्त किया गया है कि वही भी होना है

मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित

प्रमुख के रूप में मंत्री, ऐसी स्थिति को छोड़कर जिसमें

सदन में सरकार का बहुमत चुनौती के घेरे में है।

उपरोक्त व्याख्या से यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देने का अपना अधिकार खो देती है

राज्यपाल, सदन को बुलाना या स्थगित करना या भंग करना, जब

सरकार के बहुमत से समर्थन का मुद्दा

सदन के सदस्यों को बहस योग्य बना दिया गया है। हमारे पास है। उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन, यह क्या है?

एम. एन. द्वारा व्यक्त राय का महत्व और महत्व।

कौल और एस. एल. शकधर, जिन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है, वे हैं -

केवल यह तथ्य कि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों के पास है

दलबदल, जरूरी नहीं कि यह साबित करे कि पार्टी हार गई है

सदन का विश्वास। और ऐसी स्थिति में, यदि

मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जो

विधानसभा का सामना करने के बजाय, राज्यपाल को सलाह देता है कि विधानसभा को स्थगित या भंग करें, राज्यपाल को इसकी आवश्यकता नहीं है

ऐसी सलाह को स्वीकार करें। उपरोक्त स्थिति में, राज्यपाल

मुख्यमंत्री से पूछना उनके अधिकार के भीतर होगा

अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा का फैसला लें "।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त ग्रंथ को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति जे. एस. केहर (के रूप में

एड मुख्य न्यायाधीश तब अभिनिर्धारित किया गया था):

" 166. यहाँ ऊपर दर्ज विचार को ध्यान में रखते हुए, हम हैं

इस दृष्टिकोण से कि सामान्य परिस्थितियों में उस अवधि के दौरान जब [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को लाभ होता है सदन के बहुमत का विश्वास, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति

सदन का प्रयोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुरूप किया जाना चाहिए। उपरोक्त स्थिति में, वह अपनी इच्छा से या अपने विवेक से इस मुद्दे पर व्यक्तिगत निर्णय लेने से वंचित है। ऐसी स्थिति में जहां राज्यपाल के पास यह मानने के कारण हैं कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास खो दिया है, राज्यपाल के लिए यह खुला है कि वह मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से सदन में अपना बहुमत साबित करने की मांग करे। केवल ऐसी स्थिति में, जहां इस तरह के शक्ति परीक्षण के आयोजन पर सत्ता में सरकार बहुमत का विश्वास खो देती है, राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 174 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

कोई भी सहायता और सलाह "।

अदालत ने कहा कि चूंकि यह विवाद में नहीं था कि राज्यपाल ने "कभी भी शक्ति परीक्षण का आह्वान नहीं किया", इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित था कि

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदन में विश्वास और बहुमत बनाए रखने के बारे में कभी कोई संदेह नहीं रखा। न ही सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हम श्री सिब्बल के निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। कि नेबाम रेबिया में संविधान पीठ की टिप्पणियां स्पष्ट हैं। नेबाम रेबिया में अवलोकन इसके अनुरूप हैं

एस. आर. बोम्मई में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में सिद्धांत का निर्माण, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत सदन को बुलाने और इसे स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयोग की जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां राज्यपाल के पास यह मानने के कारण हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास खो दिया है, संवैधानिक औचित्य के लिए आवश्यक है कि इस मुद्दे को शक्ति परीक्षण का आह्वान करके हल किया जाए। फ्लोर टेस्ट के आह्वान में राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार की सीमा से परे काम करने वाला नहीं माना जा सकता है।

राज्यपाल द्वारा शक्ति का प्रयोग

43. संवैधानिक अधिकारियों को सौंपी गई शक्तियां न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हैं। जहाँ अभ्यास

राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण बुलाने के विवेक को शिवराज सिंह चौहान बनाम के समक्ष चुनौती दी गई है।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

शक्ति के प्रयोग के लिए जर्मन। इस तरह की शक्ति के प्रयोग का उद्देश्य लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति को अस्थिर या विस्थापित करना नहीं है विधान सभा के प्रति उत्तरदायी और सामूहिक रूप से इसके प्रति उत्तरदायी सरकार। विश्वास मत के लिए आह्वान करने की शक्ति का प्रयोग इस अति महत्वपूर्ण विचार से निर्देशित होना चाहिए कि

राज्यपाल द्वारा संतुष्टि बाहरी विचारों पर आधारित नहीं होती है।

44. जबकि संविधान यह मानता है कि राज्यपाल के पास इस बात की निगरानी करने की शक्ति है कि निर्वाचित सरकार के पास विधान सभा का विश्वास बना हुआ है, इस सौंपने से कार्यपालिका की मूल जिम्मेदारी विधायिका को या राज्य की कार्यपालिका शाखा की जवाबदेही की मांग करने की विधायिका की क्षमता को ओवरराइड या विस्थापित नहीं करना चाहिए। डॉ. सिंघवी का यह कहना कि राज्यपाल चुनाव के बाद विधानसभा के प्रारंभिक गठन के अलावा विश्वास मत की मांग नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार सौंपने के अधिकार को अनुचित रूप से बाधित करने के लिए होगा। निस्संदेह, इस न्यायालय से निकलने वाले उदाहरणों की सबसे बड़ी संख्या ने उन स्थितियों से निपटा है जहां सरकार के प्रारंभिक गठन के समय विश्वास मत का आह्वान किया गया था।

चुनाव। इसका एक कारण राज्यों में सरकारों के प्रारंभिक गठन के समय विवादों की व्यापकता भी हो सकती है। लेकिन, मिसाल की यह रेखा राज्यपाल की शक्ति को समाप्त नहीं करेगी और न ही यह सुझाव देती है कि राज्यपाल को सौंपे गए अधिकार का उपयोग सरकार बनने के बाद नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, श्री सिब्बल ने स्वीकार किया कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब सदन का सत्र सत्रावसान हो गया हो, और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो राज्यपाल को एक उचित विश्वास की ओर ले जाती हैं कि सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल करना बंद कर दिया है। यह, हमारे विचार में, निश्चित रूप से उन स्थितियों में से एक होगी जहां राज्यपाल को एक विशेष सत्र बुलाने के लिए उचित ठहराया जाएगा, जिसके दौरान मौजूदा सरकार को यह स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है कि यह जारी है

सदन का विश्वास बनाए रखें। 45. ऐसी स्थिति में जहां मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बाद सदन को बुलाया गया है, स्थिति होगी -

इस अर्थ में अधिक सूक्ष्म कि अविश्वास प्रस्ताव का उपाय विधानमंडल के किसी भी वर्ग के लिए उपलब्ध होगा जो [2020] 9 एस. सी. आर. का समर्थन करना चाहता है।

यह विचार कि सरकार ने सदन का विश्वास हासिल करना बंद कर दिया है। विश्वास मत की मांग करने के लिए संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल को सावधानी के साथ इस तरह से ऐसा करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि सरकार में अस्तित्व या विश्वास की हानि निर्धारित करने के लिए सदन के अधिकार को कम न किया जाए। अनावश्यक और बाध्यकारी परिस्थितियों के अभाव में, राज्यपाल के लिए अविश्वास प्रस्ताव की सामान्य विधायी प्रक्रिया को रोकने का कोई कारण नहीं है।

अपने नियत समय पर चल रहा है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है लेकिन वह किसी राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राज्यपाल से संवैधानिक राजनेता की भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। राज्यपाल के अधिकार का प्रयोग उस राजनीतिक व्यवस्था की सहायता के लिए नहीं किया जाता है जो उस समय की निर्वाचित सरकार मानती है।

राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बनना। राज्यपाल को अधिकार सौंपने का सटीक कारण राजनीतिक संघर्षों से ऊपर खड़े होने और राज्य कौशल के अनुभव के साथ, अधिकार को इस तरह से चलाने की क्षमता है जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधानसभाओं और सरकारों की ताकत और लचीलेपन से कम नहीं होता है।

उन राज्यों में जो उनके प्रति जवाबदेह हैं। इस जनादेश के विपरीत कार्य करने के परिणामस्वरूप संवैधानिक भय का एहसास होगा।

फ्रेमर्स जो इस बात से अवगत थे कि राज्यपाल का कार्यालय संभावित रूप से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को पटरी से उतार सकता है लेकिन फिर भी भविष्य की पीढ़ियों में यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वास रखा कि लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार को उन लोगों द्वारा बदनाम नहीं किया जाएगा जो इसके प्रहरी के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

46. इस महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन में, यह आवश्यक है कि राज्यपाल इस बात को ध्यान में रखे कि प्राधिकरण को सौंपने का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है।

विश्वास मत की आवश्यकता का अर्थ विधिवत निर्वाचित सरकारों को विस्थापित करना नहीं है, बल्कि सावधानी के साथ हस्तक्षेप करना है जब परिस्थितियाँ प्रभावित होती हैं। राज्यपाल का ध्यान बहुमत खोने का संकेत देता है। यह शक्ति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल को ऐसा करने के लिए न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं होना चाहिए और इसलिए उन्हें न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर जांच की क्षमता का सामना करना चाहिए। परिस्थितियाँ प्रासंगिक होने के कारण, राज्यपाल में निहित एक असाधारण शक्ति के प्रयोग के लिए प्रासंगिक और अप्रासंगिक नहीं हैं।

शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

47. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड में आए तथ्यों से संकेत मिलता है कि विधानसभा का बजट सत्र था

यह नहीं समझा गया था और अध्यक्ष द्वारा इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था कि इस्तीफे "स्वैच्छिक" थे या "वास्तविक"। मुख्यमंत्री ने बाद में राज्यपाल को राज्य सरकार में मंत्री रहे छह सदस्यों को हटाने की सलाह दी। 13 मार्च 2020 को, विधानसभा के अध्यक्ष ने जारी किया अयोग्यता की सूचना। हालांकि, 14 मार्च 2020 को छह सदस्यों के इस्तीफे जो मौजूदा सरकार के मंत्री थे

अनुच्छेद 190 (3) (बी) के प्रावधान के तहत संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य में उथल-पुथल की ओर इशारा करते हुए 13 मार्च 2020 को राज्यपाल को एक संदेश में कहा कि शक्ति परीक्षण बुलाना इस पहेली को हल करने के लिए एक निश्चित आधार होगा। यह एक मजबूत संकेत है कि स्वयं मुख्यमंत्री की राय थी कि राज्य की स्थिति ने उनकी सरकार के बहुमत को संदेह में डाल दिया था। हालाँकि, विधानसभा के आहूत होने पर, कोई शक्ति परीक्षण नहीं किया गया और सदन को 26 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये तथ्य उस आधार का निर्माण करते हैं जिसके आधार पर राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कराने की सलाह दी थी। मौजूदा सरकार के छह मंत्रियों के इस्तीफे (अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए गए), कांग्रेस से संबंधित सोलह और सदस्यों के कथित इस्तीफे और 16 मार्च 2020 को सदन बुलाए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति परीक्षण करने से इनकार करने के आधार पर, राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण आयोजित करने की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक रूप से अनुचित नहीं माना जा सकता है।

48. आई. एन. सी. के प्रति निष्ठा के कारण छह सदस्यों के इस्तीफों की स्वीकृति के बाद, आई. एन. सी. में उनकी ताकत

विधानसभा को 114 से घटाकर 108 कर दिया गया। सदन की संख्या घटकर 222 रह गई। राज्यपाल ने वास्तव में उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया है जो अध्यक्ष को इस्तीफों के स्वैच्छिक और वास्तविक स्वरूप या दसवीं अनुसूची के अर्थ के भीतर अयोग्यता के किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सौंपा गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद विश्वास मत बुलाने के लिए राज्यपाल के संचार का सामना करते हुए, विधानसभा का सत्र [2020] 9 एस. सी. आर.

सदन के पहले ही बुलाए जाने के बावजूद इसे 26 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इससे राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो जाती। मध्य प्रदेश उन शर्तों पर राजनीतिक सौदेबाजी जारी रखेगा और रास्ते तैयार करेगा जिन्हें वैध नहीं माना जा सकता है। राजनीतिक शक्ति की खोज में अवैध और अनुचित राजनीतिक सौदेबाजी को रोकने के लिए इस न्यायालय ने लगातार जल्द से जल्द विश्वास मत बुलाने पर जोर दिया है। इनमें से कुछ निर्णय इस प्रकार हैं -

संक्षिप्तता के लिए एक सारणीबद्ध कथन में संक्षेपित किया गया है, जिसे नीचे निकाला गया है:

तथ्य।

इस न्यायालय का आदेश

नाम

मुखिया को लेकर विवाद

- अदालत ने 24 को मामले की

सुनवाई की।

जगदंबिका

मंत्री पद और

फरवरी 1998। यह न्यायालय

पाल वी.

में बहुमत

निर्देश दिया कि एक विशेष सत्र

संघ का

उत्तर प्रदेश विधानमंडल

राज्य में घर

भारत

26 तारीख को बुलाई जाएगी

विधानसभा

उत्तर प्रदेश।

(1999) 9

फरवरी 1998 और ए

एससीसी 95

का आचरण

समग्र तल परीक्षण था

अध्यक्ष, उत्तर

आदेश दिया।

प्रदेश विधायी

. फ्लोर टेस्ट के परिणाम

सभा थी

प्रस्तुत किया जाना था

चुनौती दी जैसे उसने

27 फरवरी 1998 को

अदालत।

फैसले को रोक दिया

अयोग्यता पर। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था

किसी भी प्रमुख को लेने से 12 सदस्यों का

दिनचर्या को छोड़कर निर्णय लेने के बावजूद

एक सुनवाई।

फ्लोर टेस्ट तक मायने रखता है।

विवाद को लेकर

• झारखंड का एक सत्र

अनिल

विधान सभा ने

का गठन

कुमार झा

पहले से ही 10 के लिए बुलाया

गया है

सरकार में

वी का संघ

झारखंड राज्य।

मार्च 2005। यह न्यायालय

भारत

7 मार्च को मामले की सुनवाई हुई।

(2005) 3

- राज्यपाल ने

2005 और एक वोट का निर्देश दिया

एससीसी 150

प्रो टेम नियुक्त किया गया

11 मार्च 2005 को विश्वास।

अध्यक्ष कौन थे

तुलनात्मक रूप से।

दिन का एकमात्र कार्यक्रम

कनिष्ठ सदस्य

फ्लोर टेस्ट होना था। द.

झारखंड

शक्ति परीक्षण का परिणाम शिवराज सिंह चौहान बनाम होगा।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

प्रो टेम द्वारा घोषित किया जाए

विधायी

अध्यक्ष महोदय।

सभा।

वहाँ मौजूद था

• शक्ति परीक्षण तक, राज्यपाल

आशंकाएँ

नामांकन करने से रोक दिया गया था

सदस्य। फ्लोर टेस्ट था

कि राज्यपाल झुक जाएगा

81 तक सीमित होना

चुनावी संतुलन

निर्वाचित सदस्य।

के बीच में

• महानिदेशालय

दलों द्वारा

पुलिस, झारखंड को देखना था

एक की नियुक्ति

कि सभी निर्वाचित सदस्य कर सकते हैं

एंग्लो-इंडियन

" स्वतंत्र, सुरक्षित और सुरक्षित रूप से

सदस्य के तहत

सभा में भाग लें और नहीं

संविधान का अनुच्छेद 333

हस्तक्षेप या बाधा है

संविधान।

उसमें किसी के कारण "।

कार्यवाही वीडियो होनी थी

रिकॉर्ड किया गया और एक प्रति

भेजी
गई

अदालत ने

• चुनाव परिणाम इस प्रकार रहे

चंद्रकांत • को लेकर हुआ विवाद

11 मार्च 2017 को घोषित

किया गया।

में से

कावलेकर बनाम

गठन

सरकार में

इस अदालत ने मामले की सुनवाई

की

संघ का

14 मार्च 2017 को और

भारत

गोवा राज्य।

(2017) 3

विश्वास मत का निर्देश दिया

• श्री मनोहर

एस. सी. सी. 758

16 मार्च 2017 को।

परिकर संबंधित

भाजपा के लिए था

- दिन का एकमात्र कार्यक्रम

के रूप में नियुक्त

फ्लोर टेस्ट होना था।

मुख्यमंत्री

- चुनाव आयोग ने किया था

गोवा के दावे पर

सभी को सुनिश्चित करने के लिए

21 समर्थन

औपचारिकताएं पूरी की गईं

ए में विधायक

15 मार्च 2017।

40 का घर।

- यह नंबर था

चुनौती दी है

कांग्रेस पार्टी में

संबोधित एक पत्र

राज्यपाल को।

[20

20] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

को लेकर हुआ विवाद

- इस अदालत ने मामले की

सुनवाई की

जी.

गठन

परमेश्वर

में से

18 मार्च 2018 को। पत्र में

सरकार में

वी का संघ

बी एस येदियुरप्पा ने

राज्यपाल ने अकेले होने का दावा किया

भारत

कर्नाटक राज्य।

सबसे बड़ी पार्टी बनाई गई।

(2018) 16

- का पत्र

एक विस्तृत सुनवाई के रूप में

राज्यपाल आमंत्रित कर रहे हैं

एससीसी 46

एक फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता

थी

बीएस येदियुरप्पा

संचालन के लिए निर्देशित

से संबंधित

19 मार्च 2018 (इसके बावजूद)

भाजपा बनाएगी सरकार

राज्यपाल ने दिया बीएस

सरकार में

येदियुरप्पा को 15 दिन

राज्य और अनुदान

अपना बहुमत साबित करें)।

उसे 15 दिन बहुमत साबित करें

निर्वाचित सदस्य थे -

4 से शपथ लेंः 00 19 को अपराह्न

चुनौती दी गई।

मार्च 2018 किस समय फ्लोर टेस्ट किया जाएगा।

कोई गुप्त मतदान नहीं था

शक्ति परीक्षण के लिए अनुमति,

जिसमें आयोजित किया जाना था

कानून के अनुसार।

. अदालत ने कहा कि,

" पर्याप्त और पर्याप्त

सुरक्षा के इंतजाम होंगे

बनाया और निदेशक बनाया जाए

पुलिस महानिदेशक, राज्य

कर्नाटक स्वयं करेगा।

पर्यवेक्षण करें

द.

कहा।

इंतजाम। "

को लेकर हुआ विवाद

- इस अदालत ने मामले की

सुनवाई की

शिवसेना

में से

26 नवंबर 2019 को और

वी का संघ

गठन

सरकार में

विश्वास मत का निर्देश दिया

भारत

27 नवंबर 2019 को।

में से

राज्य

(2019) 10

महाराष्ट्र।

- एक अस्थायी वक्ता होना था

एस. सी. सी. 809

नियुक्त किया गया। निर्वाचित

सदस्य

एक लटकन के बाद

सभा,

द.

उनके द्वारा शपथ लेनी थी

5: 00 27 नवंबर को शाम

राष्ट्रपति शासन शिवराज सिंह चौहान बनाम। वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

थोपा गया और

शक्ति परीक्षण किस समय हुआ था

इसके बाद

संचालित करने के लिए। कोई रहस्य नहीं

में निरस्त किया गया

मतदान की अनुमति दी गई थी

शुरुआत के घंटे

शक्ति परीक्षण और कार्यवाही

इसका सीधा प्रसारण किया जाना था।

सुबह की ओर जाता है

देवेंद्र फडणवीस से संबंधित

भाजपा को आमंत्रित किया गया

रूप

द.

सरकार।

. का निर्णय

राज्यपाल

था।

चुनौती दी।

49. अंतिम विश्लेषण में विश्वास मत का अंतर्निहित विचार राज्य के प्रति निर्वाचित सरकार की राजनीतिक जवाबदेही को बनाए रखना है।

विधायिका। जवाबदेही का दावा विधायिका के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी की एक दर्पण छवि है। विश्वास मत की आवश्यकता वर्तमान मामले में उस उद्देश्य को पूरा करती है। वर्तमान में

विवाद ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों की अक्सर-तरल निष्ठाओं पर प्रकाश डाला है। यह उनकी अंतरात्मा का मामला है और अदालत इस मामले पर कोई राय व्यक्त नहीं करती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वास मत को निर्देशित करने में, राज्यपाल किसी विशेष राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेते हैं। यह अपरिहार्य है कि विश्वास मत का विशिष्ट समय विश्वास मत के निर्देश के समय बहुमत रखने वाली पार्टी की ओर संतुलन को झुका सकता है। सभी राजनीतिक दल एक समान हैं। अपने निर्वाचित विधायकों का समर्थन खोने का जोखिम, ठीक उसी तरह जैसे विधायकों को मतदाताओं का वोट खोने का खतरा होता है। इस तरह से संसदीय शासन की प्रणाली संचालित होती है और दोनों पर वरिष्ठ वकील का ज्ञान प्राप्त होता है

विवाद के पक्षों ने जन्मजात रूप से स्वीकार किया कि विश्वास मत का परिणाम शासन करने की वैधता के लिए अंतिम लिटमस टेस्ट है। हालांकि, हम ध्यान देते हैं कि जहां साक्ष्य इंगित करते हैं कि हिंसा और जबरदस्ती की परिस्थितियां मौजूद हैं जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को कमजोर करेंगी। विधानसभा, राज्यपाल और अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि विश्वास मत की पवित्रता बनी रहे। जिन परिस्थितियों में वे इस मामले में सामने आए हैं, राज्यपाल द्वारा अधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों पर आधारित था जो [2020] 9 एस. सी. आर. के उद्देश्य के लिए वैध थीं।

यह सुनिश्चित करना कि सामूहिक जिम्मेदारी के मानदंड को विधिवत संरक्षित किया जाए। राज्यपाल के लिए यह निर्धारित करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद नहीं थीं कि 16 मार्च 2020 को विश्वास मत उचित कार्रवाई नहीं थी।

अध्यक्ष के विवेकाधिकार को शॉर्ट-सर्किट करना

50. अध्यक्ष की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी द्वारा निर्णय पर हमले का एक महत्वपूर्ण आधार

राज्यपाल के लिए विश्वास मत का आह्वान करना यह है कि इस स्तर पर विश्वास मत बुलाने से अध्यक्ष के विवेक पर यह निर्धारित करने में बाधा आएगी कि इस्तीफों को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं (धारा 190 (3) (बी) के परंतुक के तहत) और दूसरे स्तर पर दसवें के दलबदल विरोधी प्रावधानों के संदर्भ में इस्तीफे के परिणाम पर निर्णय लेना। अनुसूची. डॉ. सिंघवी द्वारा प्रयुक्त वाक्यांश शॉर्ट-सर्किटिंग है। प्रस्तुतिकरण में यह आरोप निहित है कि विश्वास मत आयोजित करना अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि इस्तीफों को स्वीकार किया जाए या नहीं और यह तय करने के लिए कि क्या इन सदस्यों ने अयोग्यता का प्रकोप झेला है। डॉ. सिंघवी द्वारा व्यक्त किए गए कथन का विश्लेषण करते समय खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। राज्यपाल यह तय नहीं करता है कि सदस्यों द्वारा दिए गए इस्तीफे वास्तविक और स्वैच्छिक थे या नहीं। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला है जो अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी तरह, क्या सदन के किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का सामना करना पड़ा है, यह एक ऐसा मामला है जहां अध्यक्ष नामित प्राधिकारी है। जैसा कि न्यायालय इस तथ्य के बारे में सचेत रहा है

यह कि ये ऐसे मामले हैं जो अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, हाल ही में सदस्यों को अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होने और अध्यक्ष को तुरंत निर्णय लेने का निर्देश तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा वापस ले लिया गया था। 21 डॉ. सिंघवी ने इन आदेशों का संकेत दिया।

51. यह साधारण कानून है कि न तो राज्यपाल के पास और न ही इस मामले के लिए इस न्यायालय के पास अध्यक्ष के अधिकार को बाधित करने की शक्ति है - उपरोक्त मुद्दों पर निर्णय लें। हालाँकि, मुद्दा यह है कि क्या विश्वास मत के आयोजन को तब तक स्थगित करना होगा जब तक कि अध्यक्ष इस्तीफों को स्वीकार करने या न करने पर निर्णय नहीं ले लेते हैं और यदि ऐसा है, तो सदस्यों के उस पार्टी के गुट से जाने का परिणाम जिसके टिकट पर वे दसवीं अनुसूची के तहत चुने गए थे। विश्वास मत का आयोजन इस मुद्दे से एक अलग क्षेत्र में संचालित होता है कि क्या विधान सभा के एक या अधिक व्यक्तिगत सदस्य हैं।

21 प्रताप गौड़ा पाटिल बनाम कर्नाटक राज्य (2019 का 872): दिनांक 12 जुलाई 2019 और 17 जुलाई 2019 के आदेश शिवराज सिंह चौहान बनाम।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड, जे.]

त्यागपत्र देने का स्वैच्छिक कार्य शुरू कर दिया है या दसवीं अनुसूची का प्रकोप झेल लिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वास मत आयोजित करना आवश्यक है

क्या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास है। उस विश्वास का निरंतर अस्तित्व वैधता और इसलिए सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें कोई देरी नहीं हो सकती क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली सरकार का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि मंत्रिपरिषद एक सामूहिक इकाई के रूप में विधायी निकाय का विश्वास बनाए रखे। विशेष रूप से जहां सदस्यों ने मौजूदा सरकार में विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति में इस्तीफा दे दिया, सदन की सामूहिक इच्छा पर इस्तीफों के प्रभाव का आकलन करने के लिए शक्ति परीक्षण आयोजित करना निश्चित तरीका है। इस्तीफे की स्वीकृति का परिणाम सदन की संख्यात्मक ताकत को कम करना है। जब तक इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाते, तब तक जिन सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, वे अनुच्छेद 190 (3) (बी) ("उसके बाद खाली हो जाएगी") में प्रयोग की गई भाषा को ध्यान में रखते हुए सदन की ताकत में प्रतिबिंबित होते रहते हैं। क्या वर्तमान जैसी स्थिति में एक निर्वाचित सरकार का अधिकार है

बाईस सदस्यों के इस्तीफों के बावजूद जारी रहने का विश्वास के मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। न तो राज्यपाल और न ही उस मामले के लिए न्यायालय अध्यक्ष की शक्ति का उपयोग कर सकता है। लेकिन अध्यक्ष के समक्ष कार्यवाही का लंबित होना एक वैध आधार नहीं हो सकता है कि सदन को सरकार में विश्वास न हो जो शक्ति परीक्षण के आयोजन द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान मामले में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि अध्यक्ष ने 14 मार्च 2020 को बाईस सदस्यों में से छह सदस्यों द्वारा दिए गए इस्तीफों को स्वीकार कर लिया। सभी सदस्य एक साथ रवाना हुए। कोई स्पष्टीकरण नहीं था

डॉ. सिंघवी के प्रस्तुतिकरण में, यदि कोई हो, तो उन छह सदस्यों के बीच क्या अंतर था जिनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए थे।

जल्दबाजी में और शेष सोलह जिनके इस्तीफों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस्तीफा देने वाले सदस्यों में से कोई भी (न तो छह और न ही सोलह) अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, अध्यक्ष के समक्ष गैर-उपस्थिति स्पष्ट रूप से भेदभाव का आधार नहीं है। हमने तथ्यात्मक परिदृश्य के ऊपर केवल इस बात पर जोर देने के लिए प्रकाश डाला है कि संविधान के मौलिक मूल्यों की पुष्टि करने के लिए विश्वास मत का आयोजन महत्वपूर्ण है, अर्थात् उन नियमों का पालन करना जो संविधान को नियंत्रित करते हैं। संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी विधान सभा के प्रति है और एक सामूहिक निकाय के रूप में, विधान सभा को सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। [2020] 9 एस. सी. आर. की अंतिम अभिव्यक्ति।

जवाबदेही परिषद का अस्तित्व या उसमें विश्वास की कमी है।

52. अपनी प्रस्तुति के दौरान, डॉ. सिंघवी ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि इस स्तर पर विश्वास मत के आयोजन से अंततः केवल प्रभाव पड़ेगा इस्तीफ़ा देने वाले सदस्यों की नई सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने की क्षमता जो तब बनाई जा सकती है जब अयोग्यता का मुद्दा नहीं है।

इस बीच संबोधित किया गया। डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि ऐसे मामलों में प्रयास इस्तीफा देने वाले सदस्यों के लिए एक सफल सरकार में मंत्री पदों के प्रलोभन पर सरकार को गिराना है।

यदि सरकार बदलती है तो भविष्य में अयोग्यता स्वीकार नहीं की जा सकती है। जैसा कि डॉ. सिंघवी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया, लोकतांत्रिक राजनीति वास्तव में इस तरह से चलती है। हालांकि विषय की बात यह है कि विश्वास मत बुलाने के बावजूद अध्यक्ष को इस्तीफे या अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने से कोई नहीं रोकता है। यह कि अध्यक्ष ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, विश्वास मत के आयोजन को स्थगित करने का आधार नहीं है।

'बंदी' सदस्यों तक पहुँच की तलाश

53. एक क्षेत्र जिस पर इस न्यायालय के समक्ष प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, वह कैद का मुद्दा है। आई. एन. सी. की याचिका जिस पर श्री दुष्यंत दवे द्वारा प्रस्तुतियों का प्रचार किया गया है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने राहत में से एक के रूप में, बेंगलुरु के एक होटल में ठहरे बाईस सदस्यों को प्रवेश देने के लिए इस न्यायालय के निर्देश की मांग की है। श्री डेव संवैधानिक नैतिकता के अपमान पर जोर देने के लिए दुखी थे। श्री डेव ने कहा कि आई. एन. सी. के टिकट पर चुने गए बाईस सदस्यों को बेंगलुरु के लिए रवाना कर दिया गया है।

श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील और कुछ हद तक डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी इस पहलू पर चर्चा की है। श्री सिब्बल ने कहा कि सदस्यों को भाजपा नेताओं की निगरानी में एक घरेलू हवाई अड्डे के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से बेंगलुरु ले जाया गया। यह आग्रह किया गया कि सदस्य संपर्क विहीन हैं और उनसे संपर्क करने के प्रयासों का इस हद तक विरोध किया गया है कि सदस्य अपने ही परिवार के सदस्यों से भी नहीं मिले हैं। इस प्रस्तुति को काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। सदस्यों ने अभियोग दायर करने के लिए एक आवेदन दायर करके इन कार्यवाही में उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसे वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह द्वारा उनकी ओर से प्रचार किया गया था। श्री मनिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया कि सदस्य जो शिवराज सिंह चौहान बनाम।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे.]

अपना इस्तीफा देने वालों की आई. एन. सी. के किसी भी प्रतिनिधि के साथ बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं है और वे खुद यह निर्णय लेने के हकदार हैं कि क्या उन्हें राज्य में मौजूदा सरकार में विश्वास की कमी होने पर सदन के सदस्य बने रहना चाहिए या नहीं।

वर्तमान मामले में बहस। यह सबसे अच्छा है कि अदालतें राजनीतिक जीवन की गंदी कहानियों से एक हाथ की लंबाई बनाए रखें। हालाँकि, संवैधानिक सिद्धांत को परिभाषित करने में, इस न्यायालय को दोनों पक्षों के वकील द्वारा स्वीकार की गई जमीनी स्थिति के प्रति सचेत होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक मूल्य प्रबल हों। संविधान की दसवीं अनुसूची में उल्लिखित दलबदल विरोधी योजना की एक अंतर्निहित धारणा यह है कि राजनीतिक दल परिभाषित राजनीतिक इकाई है जिसे संविधान मान्यता देता है। जहाँ हम तेजी से एक देखते हैं सार्वजनिक नीति संबंधी विचारों के विपरीत सदस्यों को दिए गए निजी प्रलोभनों के कारण राजनीतिक दल की संरचना और निष्ठा में गिरावट, इन बढ़ती बुराइयों को दूर करने के लिए कानून को विकसित करना पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान हमारा विचार था कि अदालत द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि सुनवाई के दौरान बेंगलुरु में रहने वाले बाईस सदस्यों को नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के स्वतंत्र प्रयोग में किसी भी तरह के प्रतिबंध या बाधा के अधीन नहीं किया जाए। हमने अध्यक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी से सवाल किया कि क्या अध्यक्ष अदालत द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की देखरेख में स्वतंत्र तटस्थ स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस्तीफा देने वाले सदस्यों से बात करने को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह ने कहा कि वे इस अदालत द्वारा तय किए गए किसी भी तरीके का पालन करने के लिए तैयार हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्य किसी भी दबाव में न हों। हालांकि, डॉ. सिंघवी ने कहा कि उन्हें इस तरह के किसी भी तरीके को स्वीकार करने के निर्देश नहीं हैं। चूंकि हम ऐसे मामलों में अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के हैं, इसलिए हमने ऐसा कोई भी निर्देश जारी करने से परहेज किया है। हालाँकि, हमारा विचार है कि विश्वास मत को सुविधाजनक बनाने के लिए जिसके लिए बाईस सदस्यों को सदन में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए [2020] 9 एस. सी. आर.

वे ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं, उस संबंध में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ निदेशक दोनों को निर्देश जारी किए जाने चाहिए मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक। हमारे निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सदस्य को नागरिक के रूप में अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में बाधा न हो और यदि उनमें से कोई भी विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का विकल्प चुनता है, तो उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

55. एम. पी. कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर रिट याचिका में जो राहत मांगी गई है, वह स्पष्ट रूप से गलत धारणा है। एक दिशा

भारत संघ (सचिव, गृह मंत्रालय के माध्यम से) और कर्नाटक राज्य (अपने मुख्य सचिव के माध्यम से) से मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को पांच से उन्नीस (जिन सदस्यों ने अपने इस्तीफे दिए हैं) उत्तरदाताओं के साथ संवाद करने की अनुमति देने की मांग की गई है। याचिका को बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका के रूप में तैयार नहीं किया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री मनिंदर सिंह के माध्यम से इन कार्यवाही में पेश होने वाले सदस्यों ने कहा है कि वे सांसद कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। हम उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अंततः, यह सदस्यों को तय करना है कि वे किसके साथ जुड़ना चाहते हैं और कानून और संविधान के अनुसार इस तरह के निर्णय के परिणामों का सामना करना है। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि हम स्वतंत्र नागरिकों के रूप में उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक हैं। जिन राहतों की मांग की गई है, उनमें एक निर्देश है कि विश्वास मत केवल सभी विधिवत निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किया जाना चाहिए और बाईस निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में विश्वास मत आयोजित नहीं किया जा सकता है, जिनकी उपस्थिति कानून के अनुसार खाली सीटों के लिए उपचुनाव आयोजित करके सुनिश्चित की जा सकती है। इन राहतों को स्पष्ट रूप से गलत समझा जाता है।

56. अदालत यह निर्देश जारी नहीं कर सकती कि यदि कोई एक या अधिक सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं तो विश्वास मत नहीं बुलाया जा सकता है।

घर में। उपस्थित रहना है या नहीं, यह अलग-अलग सदस्यों को तय करना है और वे अपने राजनीतिक दल और अपने घटकों दोनों के लिए जो निर्णय लेते हैं, उनके लिए वे अनिवार्य रूप से जवाबदेह होंगे। इसी तरह, यह राहत कि बाईस सीटों के लिए उपचुनाव होने तक कोई विश्वास मत आयोजित नहीं किया जाना चाहिए, एक बार फिर गलत धारणा है। दूसरी रिट याचिका में एक प्रार्थना इस धारणा के आधार पर इस न्यायालय के अग्रिम निर्देश की मांग करती है कि एक अयोग्यता आकर्षित होगी जिस पर सीट राज सिंह चौहान बनाम होगी।

वक्ता एम. पी. लेजिस्लेटिव असेम्बली [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

नहीं और एक चुनाव हुआ होगा। किसी भी मामले में, बैठक

रस्ट वोट को उपचुनाव होने तक भविष्य की तारीख तक स्थगित नहीं किया जा सकता है।

57. राज्यपाल के संचार के लिए चुनौती उन कारणों में विफल होनी चाहिए जो हम पहले ही इंगित कर चुके हैं। तर्क के समापन के बाद, इस न्यायालय ने अपने कार्यकारी निर्देश जारी किए थे। द.

19 मार्च 2020 को इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया उद्धरण नीचे दिया गया है:

" संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत स्थापित दो रिट याचिकाओं में चुनाव लड़ने वाले पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा अदालत के समक्ष दो दिनों से अधिक समय तक चलने वाली प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया था।

संविधान।

हमने सुना है कि एक तरफ श्री दुष्यंत दवे, डॉ. ए. एम. सिंघवी, श्री कपिल सिब्बल, श्री विवेक तन्खा और श्री हरिन रावल, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री मुकुल रोहतगी और श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील हैं। वकील, दूसरी ओर।

वकीलों के पूर्व समूह ने शक्ति परीक्षण आयोजित करने के लिए राज्यपाल के संचार पर हमला किया है। परामर्श का अंतिम समूह

न्यायालय के समक्ष जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, उनके लिए एक निर्णय की आवश्यकता होगी जिसमें कुछ समय लगेगा। वितरित किया गया। एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ ((1994) 3 एस. सी. सी. 1) में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में और नबाम रेबिया बनाम डिप्टी मामले में संविधान पीठ के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में अनिश्चितता की स्थिति का प्रभावी ढंग से समाधान फ्लोर टेस्ट आयोजित करने का निर्देश जारी करके किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा [(2016) 8 एस. सी. सी. 1]। इन सिद्धांतों को इस न्यायालय के बाद के कई फैसलों में लगातार दोहराया गया है, जिन्हें निम्न में जोड़ा जाएगा -

उन कारणों का क्रम जो आगे आने वाले हैं।

तदनुसार हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं: (i) मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र जिसे 26 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है,

20 मार्च 2020 को पुनर्गठित; [2020] 9 एस. सी. आर.

((ख)

उपरोक्त (i) के अनुसरण में बुलाई जाने वाली बैठक एक एकल एजेंडा तक सीमित रहना, अर्थात्, क्या निवर्तमान मुख्यमंत्री की सरकार जारी है

सदन के विश्वास का आनंद लें;

(111) उपरोक्त कार्यसूची (ii) पर मतदान हाथ दिखाकर किया जाएगा (राज्यपाल ने 15 मार्च 2020 के अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि बटन दबाकर विभाजन दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है);

((iv) विधान सभा के समक्ष कार्यवाही होगी -

वीडियो ग्राफ़ किया गया और, यदि कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए कोई प्रावधान मौजूद है, तो यह भी सुनिश्चित किया जाएगा;

(v)

विधायी सचिव सहित सभी प्राधिकरण

यह सुनिश्चित करें कि कार्यवाही के दौरान कानून और व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और शक्ति परीक्षण एक में आयोजित किया गया है शांतिपूर्ण तरीके से;

(vi) उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में शक्ति परीक्षण होगा -

20 मार्च 2020 को शाम 5 बजे तक समापन; और

(vii) कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का सहारा लेने वाले सोलह विधायकों में से किसी पर भी कोई संयम या बाधा न आए। यदि वे या उनमें से कोई भी विधान सभा के सत्र में भाग लेने का विकल्प चुनते हैं, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सभी द्वारा की जाएगी।

संबंधित अधिकारी।

कारणों का पालन किया जाएगा "।

उपरोक्त निर्देशों के हमारे कारण परिचय के पाठ में निहित हैं। हम उपरोक्त निर्देशों को न्यायालय के अंतिम परिचालन निर्देश के रूप में पुष्टि करते हैं। 2020 की रिट याचिका संख्या 439 का निपटारा किया जाएगा।

उपरोक्त दिशाओं में। 2020 की रिट याचिका संख्या 449 कायम रहेगी।

एसएसईडी। कार्यान्वयन आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

लिखित याचिकाओं का निपटारा किया गया।

गुजराल